

लोक सुनवाई का विवरण

विषय:— ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड, (परसाभदेर लाईम स्टोन माईन), ग्राम—परसाभदेर, तहसील—बलौदाबाजार, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक 228, 229, 238, 240, 241/1, 241/2, 242/2, 243, 245, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 268, 270/1, 270/2, 273, 274, 275, 277/1 में शामिल 279, 282, 283, 284 में शामिल 285, 289/1/1 में शामिल 291, 289/1/2 में शामिल 291, 289/1/3 में शामिल 291, 293/1, 294/1, 294/2, 295, 296, 298, 299, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 456, 479, 271, 272, 353/1 शामिल 356, 353/2, 244/1, 239/1, 239/2, 246/1, 246/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277/2 शामिल 278, 277/3, 286/1, 286/2, 288/2, 288/3, 297/1 शामिल 297/2, 297/3, 312/1, 312/2, 321/1, 321/2 शामिल 322/1, 325/1, 325/2, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 491/17, 401 एवं 402 कुल क्षेत्रफल — 28.461 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता — 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 04.06.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) के तहत मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड, (परसाभदेर लाईम स्टोन माईन), ग्राम—परसाभदेर, तहसील—बलौदाबाजार, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.) स्थित खसरा क्रमांक 228, 229, 238, 240, 241/1, 241/2, 242/2, 243, 245, 247, 248, 249, 250/1, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/5, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 268, 270/1, 270/2, 273, 274, 275, 277/1 में शामिल 279, 282, 283, 284 में शामिल 285, 289/1/1 में शामिल 291, 289/1/2 में शामिल 291, 289/1/3 में शामिल 291, 293/1, 294/1, 294/2, 295, 296, 298, 299, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 313/1, 313/2, 313/3, 313/4,

314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341/1, 341/2, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 421, 422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 422/8, 456, 479, 271, 272, 353/1 शामिल 356, 353/2, 244/1, 239/1, 239/2, 246/1, 246/2, 262/1, 262/2, 262/3, 263/1, 263/2, 264, 265/1, 276/1, 276/2, 276/3, 276/4, 277/2 शामिल 278, 277/3, 286/1, 286/2, 288/2, 288/3, 297/1 शामिल 297/2, 297/3, 312/1, 312/2, 321/1, 321/2 शामिल 322/1, 325/1, 325/2, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 491/17, 401 एवं 402 कुल क्षेत्रफल – 28.461 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता – 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत लोक सुनवाई कराने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया है। दैनिक समाचार पत्र पत्रिका तथा द हिन्दू में दिनांक 03 मई 2025 को लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित करवाई जाकर दिनांक 04 जून 2025 को समय प्रातः 11:00 बजे से स्थल— ग्राम ढनढनी, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.) में लोक सुनवाई नियत की गई थी, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित की गई व तामिली भी ली गई।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत लोक सुनवाई दिनांक 04.06.2025 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बलौदाबाजार, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर तथा गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं लगभग 500 जन सामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:—

1. लोक सुनवाई प्रातः 11:05 बजे से प्रारंभ हुई।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सूची संलग्नक-01 अनुसार है, (पृष्ठ क्रमांक 01 से 20)।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देते हुये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदया से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया गया।
4. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आज की जनसुनवाई कार्यक्रम में जो है आप सभी का स्वागत है। जनसुनवाई जो

है ग्राम परसाभदेर नीलामी ब्लॉक चूना पत्थर, जिसके आवेदक हैं मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड कंपनी, वे इस परियोजना के प्रस्तावक हैं। वे पहले अपना प्रस्ताव रखेंगे, उसके बाद आप सभी जो है इसमें इस परियोजना के, इस चूना पत्थर खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अपने सुझाव, अपने विचार, अपना समर्थन, अपना विरोध मौखिक रूप से एक-एक करके यहाँ पर आकर या फिर लिखित रूप में भी आप लोग अपना सुझाव, विचार या विरोध या समर्थन जो है, प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं परियोजना के जो प्रस्तावक हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रस्ताव जनता के समक्ष प्रस्तुत किया।

5. परियोजना प्रस्तावक की ओर से दुर्गेश कुमारी, पर्यावरणीय सलाहकार, वरदान एन्वायरोनेट एलएलपी द्वारा जानकारी प्रस्तुतीकरण के अनुक्रम में संबोधित किया गया कि आदरणीय एडीएम महोदया, एसडीएम साहब, आर. ओ. साहब और समस्त उपस्थित ग्राम वासियों एवं हितधारकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज की जनसुनवाई मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड द्वारा परसाभदेर नीलामी ब्लॉक चूना पत्थर के लिए आयोजित की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 0.6 मिलियन टन प्रति वर्ष रहेगी। कुल क्षेत्रफल 28.461 हेक्टेयर है। एनयू विस्टा लिमिटेड एक भवन निर्माण कंपनी है, जिसका दृष्टिकोण एक सुरक्षित स्मार्ट और टिकाऊ दुनिया का निर्माण करना है और अपने हितधारकों के लिए एक वैल्यू बनाने वाली विश्वसनीय भवन निर्माण सामग्री कंपनी बनाने की आकांक्षा रखती है। एनयू विस्टा को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 28 दिसम्बर 2020 को नीलामी किए गए ब्लॉक के लिए सफलतम बोलीदाता घोषित किया गया था। इसके बाद न्यू विस्टा लिमिटेड को परसाभदेर नीलामी ब्लॉक हेतु मंशा पत्र 04.08.2022 को जारी किया गया। TOR SEIAA छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 09.02.2024 को जारी किया गया। ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु लोक सुनवाई करना अनिवार्य है। इस खनन नीलामी ब्लॉक क्षेत्र में कोई भी वन भूमि शामिल नहीं है। लोक सुनवाई हेतु समाचार पत्रों का विज्ञापन 03.05.2025 को द हिंदू और पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। अध्ययन क्षेत्र का गूगल मानचित्र स्क्रीन पर दिखाया गया है। परियोजना के निकटतम राजमार्ग स्टेट हाईवे 10 कि.मी. पर, भाटापारा रेलवे स्टेशन 20 कि.मी. की दूरी पर है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर 65 कि.मी. की दूरी पर है, बलौदाबाजार 02 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है न्यू विस्टा सीमेंट प्लांट 1.6 किलोमीटर श्री सीमेंट प्लांट 05 कि.मी. पर स्थित है। एक मौसमी नाला नीलामी ब्लॉक क्षेत्र के भीतर से गुजरता है जिसे खनन कार्य के दौरान नहीं छेड़ा जाएगा। आरक्षित वन ढाबाडीह 2.3 कि.मी. की दूरी पर है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन वर्तमान में प्रचलित नीति एवं नियमानुसार किया जाएगा। खदान की आयु 08 वर्ष रहेगी। खनन की विधि ओपन कास्ट पूर्णतः यंत्रीकृत विधि द्वारा किया जाएगा। खनिज परिवहन सम्पूर्ण चूना पत्थर को निकटवर्ती रिसदा कुकुरडीह खदान के क्रशर तक डम्पर/ट्रक

द्वारा जोड़ने वाले सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा। क्रश किया गया चूना पत्थर बंद कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से रिसदा सीमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। जल की कुल आवश्यकता 40 KLD रहेगी, जिसका स्रोत भूजल एवं खदान में संग्रहित वर्षा जल रहेगा। परियोजना की पूंजीगत लागत रु. 250 लाख, वार्षिक आवर्ती लागत रु. 05 लाख प्रतिवर्ष है। बेसलाइन अध्ययन के परिणाम बेसलाइन स्थिति दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023 तक लिया गया है। प्रस्तावित परियोजना से आसपास के क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह परियोजना खनन कार्य के दौरान प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार और स्वरोजगार उत्पन्न करेगी, जिससे आसपास के हितधारकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। वायु प्रदूषण पर होने वाले प्रभाव में ब्लास्ट होल की ड्रिलिंग के दौरान धूल उत्सर्जन होगा। खजिन के परिवहन के दौरान उत्सर्जन होगा। ब्लास्टिंग के दौरान धूल उत्सर्जन होगा। इसके उपाय में नियमित अंतराल पर हॉल रोड पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। खनिज को समर्पित सड़क के माध्यम से मौजूदा खदान के क्रशर तक ले जाया जाएगा, जहाँ से क्रशित सामग्री को बेल्ट प्रणाली द्वारा बंद कन्वेयर के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा जिससे न्यूनतम धूल उत्पन्न होगी। प्रभावी धूल नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव किया जाएगा। ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी और डंपरों की गति सीमा को नियंत्रित किया जाएगा। डीजल चालित वाहनों एवं उपकरणों से कण और गैसीय उत्सर्जन को न्यूनतम करने हेतु सभी उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण में प्रमुख शोर स्रोत ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग व हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी रहेगी। शमन के उपाय में कंपन को कम करने हेतु नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। शोर को कम करने के लिए तेज धार वाले ड्रिल बिट्स की सहायता से ड्रिलिंग की जाएगी। मशीनरी के पास कार्यरत सभी ऑपरेटरों एवं कर्मचारियों को ईयर मप्स व ईयर प्लग्स प्रदान किए जाएंगे। मशीनों का उचित रखरखाव, नियमित अंतराल पर ग्रीसिंग किया जाएगा जिससे शोर उत्पन्न नहीं होगा। आवागमन परिवहन रास्तों के किनारे और लीज क्षेत्र की बाहरी परिधि पर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा। CPCB व DGMS के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से शोर स्तर की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। जल प्रदूषण में प्राकृतिक जल की निकासी, सतही प्रवाह का खदान में प्रवेश, खदान स्थल एवं कार्यालयों आदि से सीवेज का निकास रहेगा। इसके उपाय के लिए नीलामी ब्लॉक के भीतर एक मौसमी नाला स्थित है, जिसके दोनों ओर 50 मीटर की सुरक्षा दूरी एक वैधानिक अवरोध के रूप में छोड़ी गई है। प्राकृतिक जल निकासी में व्यवधान का प्रभाव नगण्य है। प्रस्तावित अनुरक्षण कार्य जैसे रिटेनिंग वॉल और पैरापेट वॉल का निर्माण किया जाएगा। कार्यरत खदान गड्ढे से पंप की गई उप-सतही जल मात्रा को परियोजना प्रस्तावक की वर्तमान लीज क्षेत्र के अकार्यरत खनन पिट में संग्रहित एवं संरक्षित किया जाएगा। भूमि उपयोग मानचित्र को स्क्रीन में दिखाया गया। पर्यावरण प्रबंधन लागत पूंजीगत लागत के रूप में 250

लाख रुपये तथा आवर्ती लागत के लिए 05 लाख रुपये प्रतिवर्ष का प्रस्ताव किया गया है। वृक्षारोपण हेतु स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन योजना पांचवे वर्ष के अंत तक कुल अपशिष्ट डंप की मात्रा 59,100 टन होगी, जिसे अलग से ढेर किया जाएगा। सभी अपशिष्ट और ओबी को लीज क्षेत्र में अस्थाई अवधि के लिए परिधि पर डंप किया जाएगा तथा प्रस्तावित परियोजना से लाभ में प्रस्तावित परसाभदेर नीलामी ब्लॉक खनन कार्य के दौरान प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार और स्वरोजगार उत्पन्न होगा, जो कि आसपास के हितधारकों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद करेगा। उक्त परियोजना घरेलू और साथ ही अवसंरचनात्मक बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खनन से उत्पन्न राजस्व को राज्य सरकार द्वारा राज्य के आगे के विकासात्मक कार्यों में पुनर्निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा प्रस्तावित परियोजना राज्य के एक प्रमुख रूप से पिछड़े क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी। पहले से ही किए गए सामुदायिक कल्याणकारी कार्य को स्क्रीन पर दिखाया गया है। सीएसआर गतिविधियों की झलक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास एवं आजीविका के लिए न्यू विस्टा लिमिटेड ने बहुत सारे कार्य किए हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाये गये हैं, धन्यवाद।

6. डॉ. सनम जांगड़े ने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूँ। इस कारण करता हूँ कि अभी जो जनसुनवाई हो रही है न तो स्थानीय सरपंच को सूचना दिया गया है, वहाँ का सरपंच आपके ढनढनी से लेकर आपके विस्टा से लेकर परसाभदेर और हमारे पूरे जितने जनप्रतिनिधि, सरपंच लोगों को सूचना नहीं दिया है, जनपद सदस्य को सूचना नहीं दिया गया, जिला पंचायत सदस्य को सूचना नहीं दिया गया, न किसी भी जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं दिया गया, इस कारण मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि आज जो जनसुनवाई हो रही है यह हमारे स्थिति आप लगभग 15 वर्ष हो रहा है यहाँ पर प्लांट चालू है और इसमें हमारी खैरवारडीह जो जंगल है वह 300 एकड़ में फैला हुआ है, यहाँ पर जीव जंतु है, लेकिन इसकी अगर स्थापना होने से निश्चित ही जीव जंतु का हानि होगा और उसमें ब्लास्ट के कारण यहाँ के जीव जंतु पलायन कर रहे हैं। इस कारण भी मैं विरोध करता हूँ यहाँ पर हमारे प्रबंधक स्थगित करें खारिज किया जाए, आज जनसुनवाई नहीं होगा। किसी भी जनप्रतिनिधि को आप अवगत नहीं कराये हैं तो इस कारण जब तक जनप्रतिनिधि को, स्थानीय सरपंच को, जनपद सदस्य को, जिला पंचायत सदस्य को जब तक आप उसको आमंत्रित नहीं करोगे, सूचना नहीं दोगे, यह लुका छुपी ऐसा काम नहीं चलेगा। जनसुनवाई का हम भी समर्थन करने आते, हमारे जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं पूछा गया, जो स्थानीय लोग हैं इस कारण इसका हम पूरा-पूरा विरोध करते हैं। आज इस जनसुनवाई का घोर आपत्ति है और निश्चित ही षड्यंत्रपूर्वक यहाँ पर यह जो जनसुनवाई हो रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव पूर्ण हो चुका है। अब आप अपनी बात जो है रख सकते हैं।

डॉ. सनम जांगड़े ने पुनः कहा कि हम अपनी बात को रख चुके हैं हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि को, सरपंच को, जनपद सदस्य को, जिला पंचायत सदस्य को, किसी भी जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी नहीं है कि आज जनसुनवाई यहाँ पर हो रहा है। इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि जनसुनवाई करो इसका भी हम लोग समर्थन करते हैं, नहीं करने वाली बात नहीं है, लेकिन सूचना होना चाहिए सभी को, गांव में मुनियादी होनी चाहिए सब समर्थन करेंगे, कौन समर्थन नहीं कर रहा है। हमारे आज बलौदाबाजार जिला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचाना जाता है, यह उद्योग के कारण आज 10 उद्योग है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे बलौदाबाजार में और उद्योग लगे एक नहीं चार लगे और लगे लेकिन जनसुनवाई में सूचना देना अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है, किसी को आप बताएं नहीं हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा संबोधित किया गया कि सर मैं अनुरोध करना चाहूँगा, ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार जहाँ-जहाँ इसकी सूचना देनी थी, वह मैं पहले आपको जनसमुह को लोकसुनवाई के प्रारंभ में बता चुका हूँ, पुनः आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ईआईए 2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट, ईआईए रिपोर्ट, कार्यपालक सार, हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा तथा इसकी सूचना निदेशक, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली, वैज्ञानिक डी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, कार्यालय कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार, मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, कार्यालय सरपंच, ग्राम पंचायत परसाभदेर, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, कार्यालय सरपंच, ग्राम पंचायत ढनढनी, तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायपुर, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन सेक्टर-19, नवा रायपुर स्थित कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई थी, जिसकी पावती मैं आपको अवलोकन करा सकता हूँ सर, आप अवलोकन कर सकते हैं, कृपया अवलोकन करायें महोदय जी को।

डॉ. सनम जांगड़े ने कहा कि मैडम हमारा यही आग्रह है, अभी जनसुनवाई हुआ है, हम लोग कहीं ऐसा नहीं है हम लोग खुद चाहते हैं लेकिन जनप्रतिनिधि लोगों को यह आपकी राइटिंग में है या नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ लेकिन क्यों सूचना

नहीं दिया गया कि आज यहाँ पर जनसुनवाई हो रही है जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं है आम जनता को सूचना नहीं है यह अच्छी बात नहीं है तो इस कारण जनसुनवाई को स्थगित किया जाए और इनके लिए फिर से आप समय तय किया जाए और सभी को सूचना दिया जाए।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि जनसुनवाई जो है उसका प्रकाशन जो है पेपर में भी किया गया है इसका यह मतलब होता है कि यह सभी को जानकारी है।

डॉ. सनम जांगड़े ने कहा कि ऐसा नहीं होता आज जनसुनवाई नहीं होगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि यह आम जनता के लिए है।

डॉ. सनम जांगड़े ने कहा कि ऐसा करना दादागिरी है, आप यहाँ पर दादागिरी करके, पुलिस व्यवस्था करके ऐसे किसी की आवाज को नहीं रोका जा सकता।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको बोलने से किसी ने रोका नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, एक—एक करके सबको समय दीजिए। एक—एक करके आकर बोल सकते हैं, एक—एक करके अपने सुझाव, अपना समर्थन, अपना विरोध जो है आप समक्ष में आकर बोल सकते हैं, लिखित में अपना समर्थन देना है, सुझाव देना है, तो लिखित में भी अपना समर्थन और सुझाव दे सकते हैं।

1. श्रीमती उषा देवी साहू ग्राम कुकुरडीह ने कहा कि अगर आपको सहानुभूति है कंपनी के प्रति तो आप समर्थन कीजिए अगर आप सच्चे भाव से कंपनी को चाहते हैं। अपने सच्चे हृदय से यही बोलती हूँ कि अगर अच्छे से उत्खनन नहीं होगा तो सीमेंट नहीं उपलब्ध होगा गिट्टी के अभाव में रहकर आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं क्या कर सकते हो तो करो और यदि नहीं कर सकते तो चुप रहिए अन्यथा अभाव में रहना पड़ेगा। आज 13 वर्षों से कंपनी हम लोगों को सब चीज दे रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य संरक्षण, विकास हर प्रकार से कंपनी अपना सहयोग दे रही है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि जिनको अपनी बात अपना सुझाव अपने विचार अपना समर्थन विरोध करना चाहते हैं वे रख सकते हैं।

श्रीमती उषा देवी साहू ने कहा कि जिनको विरोध करना है कृपया घर में जाकर हल्ला कीजिए यहां दोनों पक्षों का सुनने के लिए बोले हैं अगर आप विरोध करोगे तो धर दबोच कर मारे जाओगे मैं बता रही हूँ। अपना पक्ष रखो और नहीं रख सकते तो चुपचाप बैठिए। आज हमारा वृक्ष के समान कंपनी हम लोगों को सारी सुविधाएं दे रही है अन्य प्रकार की विपदाओं से बचा रही है। जैसे कि स्वास्थ्य की विपदा होती है अंधकार से निकाल कर हमें कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। आज हर क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध कराते हैं किसानों को प्रोत्साहन देते हैं, मितानीन बहनों को कितना प्रोत्साहन देते हैं, महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं, आज अन्य क्षेत्रों से बहुत अधिक सुविधा उपलब्ध कराते हैं, कटौती नहीं होती हमारे गांव के विकास में। हम समर्थन करते हैं और करेंगे, हम बताते हैं कि किसका विरोध करते हैं और किसका बहिष्कार करना चाहिए, आज जितने भी सामान उपलब्ध हो रहे हैं जैसे कि तालाब है उद्योग है इन सब का बहिष्कार कीजिये इन सब का बहिष्कार क्यों नहीं करते इनका बहिष्कार कीजिए क्यों नहीं करते इसका बहिष्कार, आप सच्चे समाज सेवक हैं कल्पना कीजिए समाज में एक अच्छा इंसान और सद्भावना दीजिए आप अपने मद में अपने प्रतिष्ठा के मद में यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हो बंद करो बंद करो बोलते हैं मैं उसका कभी समर्थन नहीं करूंगी। समर्थन करते हैं पूरा भारत समर्थन करते हैं।

2. श्री बाल दास मानिकपुरी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत ढनढनी ने कहा कि मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ, मैं प्रशासन को निवेदन करता हूँ कि जिसको जो विरोध करना है वे कतारबद्ध आएँ अपनी बात को रखें इस टाइप का हंगामा और हुड़दंग नहीं होना चाहिए अपनी अपनी बात को रखें और मैं इस जनसुनवाई का जो कि हमारे न्यू विस्टा लिमिटेड सीमेंट रिसदा के द्वारा हमारे ग्राम पंचायत रिसदा एवं ग्राम पंचायत कुकुरडीह सभी जगह विकास कार्य किया गया है और 95 परसेंट हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया गया है ऐसे इकलौते सीमेंट प्लांट को न्यू विस्टा प्लांट को मैं हृदय दिल से इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ, जनसुनवाई होकर रहेगा। इस जनसुनवाई का हृदय दिल से ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच समर्थन करता हूँ।
3. श्रीमती राखी मानिकपुरी, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत ढनढनी ने कहा कि इस जनसुनवाई में अपना समर्थन करती हूँ।
4. श्री कृष्णा अवस्थी, ग्राम रिसदा ने कहा कि आज जो जनसुनवाई जनप्रतिनिधि लोगों को गुमराह में रखकर बिना किसी जनप्रतिनिधि को स्थानीय लोगों को जितने भी हैं चाहे वह पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभी को अंधेरे में रखकर आज की जनसुनवाई आहुत की गई है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जनसुनवाई का मुनियादी होना चाहिए, सबको सूचना होना चाहिए, इसका पालन नहीं किया गया है।

दूसरी बात ढाबाडीह जंगल से लगकर प्लांट लगा है, इसके माईन से जो ब्लास्टिंग होता है, उसके भारी भरकम आवाज को सुनकर के अन्य जीव पलायन कर रहे हैं और यह जो कंपनी का विस्तार होने पर और भी पशु है उसके जान माल को और खतरा है और एक बिंदु और यहाँ पर्यावरण के अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार माल वाहक जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आती है कंपनी में उससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके साथ-साथ गांव के ही सैकड़ों लोगों की जान बड़े-बड़े मालवाहकों के चपेट में आने से जा चुकी है। एक भी कंपनी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हताहत परिवार से न कोई मिलने जाता है, न कोई अपना शोक संतप्त व्यक्त करने के लिए जाता है। ऐसे में लगातार पर्यावरण का जो दोहन किया जा रहा है और कंपनी के विस्तार होने से पर्यावरण के क्षेत्र में और ज्यादा खतरा है। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो जल दूषित हो रहा है उससे स्वास्थ्य जनित जो रोग है वह क्षेत्र में फैला हुआ है, मैं इस जनसुनवाई का इस मुद्दे पर भी विरोध करता हूँ। इस क्षेत्र के जो स्थानीय बेरोजगार हैं उनको रोजगार दी भी गई है तो औरों की तुलना में उनको कम वेतनमान दिया जाता है, जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके साथ दायम दर्जे का बर्ताव किया जाता है, बाहर से आए हुए व्यक्ति और लोग उनका गुणगान और महिमा मंडन करने वाले हैं केवल उसी को प्रश्रय दिया जाता है। यह जो पर्यावरण है उसमें निश्चित रूप से भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। जलसंकट को आप देख रहे हैं हमारे गांव में लगातार 03 महीने से टैंकर चल रहा है, जल स्रोत माईस के गहरीकरण होने के कारण पूरा सूख सा गया है, इसलिए पर्यावरण को क्षति होने के कारण और वन्य जीव को खतरा होने के कारण मैं इस षडयंत्रकारी जनसुनवाई जिसमें पूरे जनप्रतिनिधि को निर्वाचित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत सभी को अंधेरे में रखकर चोरी छुपे जो जन सुनवाई की जा रही है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, इसको स्थगित करके नियम के तहत इसकी जनसुनवाई किया जाए, हम उस जनसुनवाई का समर्थन करेंगे, ऐसे चोरी छिपे जनसुनवाई को जो कुछ लोगों की जानकारी में आहुत की जाती है, उसका विरोध करते हैं।

5. श्रीमती जानकी वर्मा, ग्राम रिसदा ने कहा कि मेरे गांव में महिला समूह है महिला समूह की जब मीटिंग होती है तो महिला को सीएसआर फंड से कंपनी को जैसे पुरुष लोगों को काम मिला है वैसे ही महिलाओं के लिए भी कुछ आगे सोचें उसके जरिए हमारे महिला समूह में मीटिंग वगैरह अच्छा सुलह शांति से कर पाते हैं इसी की वजह से मैं महिलाओं का समर्थन करती हूँ जनसुनवाई का और महिलाओं को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें पूरा कंपनी तरफ से हमें अच्छा हर चीज की सुविधा देते हैं मैं प्रणाम करती हूँ और जो असंतुष्ट हैं वे इसे शांति से निपटाने की कोशिश करें क्योंकि महिला अपना टाइम निकाल कर ही अपनी कुछ भी समस्या को बोलने के लिए आते हैं इस प्रकार से आप अशांति करेंगे तो महिला अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे उससे अच्छा शांति से अपने काम को निपटाएं और जो गरीब परिवार है उन्हें कंपनी में जैसे

काम भी कर रहे हैं शांति से उसकी समस्या का निराकरण करें मैं समर्थन करती हूँ आज जनसुनवाई का।

6. श्री राजेश वैष्णव, ग्राम रिसदा ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि आज से 15 साल पहले जब शुरू में जन सुनवाई हुआ था तो मैं इसका समर्थन किया था कारण यह था कि क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले और एक रोजी-रोटी का एक साधन उपलब्ध हो जो आज कंपनी के रहने से कंपनी के यहाँ पर खुलने से जो पर्याप्त रूप से उनको रोजगार मिला है नौकरी मिली है और यह मेरी विनती है कि 90 परसेंट क्षेत्रीय बेरोजगार युवकों को यहाँ पर नौकरी में रखा गया है इसलिए मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
7. श्रीमती महादेवी वर्मा, ग्राम रिसदा ने कहा कि आप सभी को सादर नमस्कार और आज का इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है यहाँ पर शुरुआती दौर पर मैं देखी हूँ कि यहाँ पर बहुत विरोध के जो आवाज है वह उठ रहे थे लेकिन जनप्रतिनिधि यह बोल रहे हैं कि जनप्रतिनिधि लोगों को सूचना नहीं दिया गया है यहाँ पर आने के लिए लेकिन मैं बोलती हूँ कि यदि सूचना नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आप उपस्थित कैसे हो गए हैं भई किसी न किसी माध्यम से आपको जानकारी मिली है तभी तो आप आए हैं, यदि विकास करवाना है अपने क्षेत्र का विकास करवाना है तो उस विकास के उसमें आगे बढ़कर कुछ न कुछ तो कमी रहती है स्वाभाविक सी बात है कि हमारे घर में भी रहती है तो इतने बड़े जगह पर विकास करवाना है तो कुछ न कुछ कमी तो शयोर है कि उस कमी को हम सामने रखें और कैसे उसका निराकरण करें कैसे निदान करें उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है समाधान को बताते हुए इस जन जो सुनवाई है उस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें न कि विरोध क्योंकि विकास करवाना है तो आगे तो आना ही पड़ेगा और इस जनसुनवाई का मैं पुरजोर से समर्थन करती हूँ।
8. श्री रितेश श्रीवास्तव, बलौदाबाजार ने कहा कि मैं उक्त जनसुनवाई का विरोध करता हूँ विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि इस विस्तार से एकमात्र कंपनी प्रबंधन का हित होगा न कि जनता का हित होगा न क्षेत्र का हित होगा न युवाओं का हित होगा कंपनी के विस्तार से आसपास में जितने वन्य जीव प्राणी है पास में जंगल लगा हुआ है उसको भी नुकसान पहुंचेगा क्षेत्र में जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है आज बलौदाबाजार में वॉटर रिसोर्स समाप्त हो चुका है इसके विस्तार से पानी का भी बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर है मुख्य मार्ग में इनका गेट होने से दुर्घटना भी बढ़ रही है इस जनसुनवाई से यहाँ पर विस्तार की अनुमति देने से एकमात्र कंपनी प्रबंधक का हित है

जनता का हित नहीं है मेरा निवेदन है पर्यावरण अधिकारी से इस जनसुनवाई को स्थगित करके इसको विस्तार होने की अनुमति न दी जाए।

9. श्रीमती सुमित्रा धृतलहरे, अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार ने कहा कि आज जनसुनवाई का यह कार्यक्रम रखा गया है सबसे पहले तो यह कार्यक्रम जहाँ जिस जमीन में होना चाहिए वहाँ पर हो नहीं रहा है यह परसाभदेर का जनसुनवाई है अभी हमारी एक बहन बोल रही थी कि जब सूचना मिली नहीं है तो आए कैसे हैं हम क्योंकि इसी जिले के निवासी हैं हम आपस में एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं कहीं पर गलत हो रहा है कहीं पर सही हो रहा है किसका समर्थन करना चाहिए किसका समर्थन नहीं करना चाहिए हम एक जागरूक नागरिक के नाते हम सबको यह जानकारी रहना चाहिए हो सकता है कंपनी वालों ने जनसुनवाई का सूचना संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों को जनप्रतिनिधियों को दिया होगा मगर ऐसे किसी भी अभी मैं पूछ रही थी कि महिलाओं को कि आप लोग आए हैं तो किस संबंध में क्या बात करना है आप जानते हैं तो नहीं हमको सीएसआर वाले लाए हैं तो हम आए हैं कहकर बताए, तो अगर कोई किसी को बिठाकर ले आए हैं और उस संबंध में आपको जानकारी ही नहीं है यह बात भी गलत है मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते क्योंकि मैं बलौदाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी अभी हम लोग सरकार के विपक्ष में हैं अगर इस जनसुनवाई से गांव के पर्यावरण में कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी आसपास हम देखे हैं कि कंपनी वाले प्लांट वाले बोलते तो है कि हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे किसी के घर में अगर कुछ होगा अगर कहीं पर दरार पड़ेगा क्योंकि अगर कहीं पर खनन किया जा रहा है तो ब्लास्टिंग होगा जरूर अगर ब्लास्टिंग होगा तो वहाँ का जल स्रोत प्रभावित होगा जरूर और वहाँ के मकान रहने वाले रहवासी हैं उनके मकानों में उसका असर होगा हम क्योंकि यहाँ यह जिला और इस क्षेत्र प्रॉपर माइंस के लिए नहीं है यहाँ पर कृषि भूमि भी है तो उस विस्तार से जैसे खनन का कार्य होगा इससे कितना हमारा कृषि भूमि प्रभावित होगा इसका भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और अगर प्रभावित हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने क्या प्रबंधन किया है और क्योंकि यह पहला माइन्स तो है नहीं जिसका अभी जन सुनवाई हो रही है, इसके पहले भी बहुत जनसुनवाई हुआ है उससे संबंधित आप लोगों ने क्या-क्या किया इसका भी आप लोग गांव वाले को कभी बताए हैं नहीं। इसका तो मैं नहीं जानती अभी जैसे दीदी लोग समर्थन कर रहे हैं मैं उसका समर्थन नहीं करूँगी अगर इस खनन से अगर कोई गांव प्रभावित हो रहा है कहीं पानी नहीं मिल रहा है मिट्टी प्रदूषण का वातावरण बना हुआ है कहीं बीमार पड़ रहे हैं तो बिल्कुल मैं इसका समर्थन नहीं करूँगी अगर गांव वाले इसका समर्थन कर रहे हैं तो करें मैं उनका विरोध भी नहीं करूँगी मगर जिसमें जनहित का कोई चीज दिखे नहीं, ऐसे कार्यक्रम का मैं समर्थन नहीं करूँगी अगर जनहित में दिख रहा है तो भले मैं समर्थन करूँगी मगर अगर जनहित में नहीं दिख रहा है तो समर्थन नहीं करूँगी।

10. श्री रवि कुमार सोनवानी, ग्राम रिसदा ने कहा कि आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी को यह बताना चाह रहा हूँ कि मेरे यहाँ ग्राम पंचायत में अब सबसे पहले तो मैं यह बोलूंगा कि दोनों पक्ष के लोग आकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं जिस भी पार्टी से हैं मैं उन लोगों को यह बता दूँ कि जिनको मिला है वह इसका समर्थन कर रहे हैं जिसको नहीं मिला है वह इसका विरोध कर रहे हैं यहाँ कोई किसी का भला करने के लिए नहीं आया है मैं खुल कर बता रहा हूँ आप सभी लोगों को।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि यहाँ किसी पर आक्षेप नहीं लगाना है।

श्री रवि कुमार सोनवानी ने पुनः कहा कि जी यह मैं पर्सनल राय रख रहा हूँ आप सभी के सामने। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि ऐसा यह सोचकर नहीं आया है कि किसी ग्रामवासी के लिए हम आकर उसके लिए खड़ा हो जाए यहाँ पर वही है सबको अपनी इज्जत के बारे में बात करना है कि कोई मुझे नहीं बुलाया वे कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया आमंत्रित नहीं किया बस यही चल रहा है यहाँ पर तो मेन मुद्दे पर कोई बात कर नहीं रहे हैं और मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि हमारे ग्राम पंचायत में जिस ग्राम पंचायत से मैं आता हूँ रिसदा पंचायत से सबसे बड़ा समस्या यह है पानी का अभी आए दिन लोग टैंकर से भी पानी भर रहे हैं उस पर लड़ाई हो रहे हैं और पानी का कोई दूर-दूर तक नाम ओ निशान नहीं है इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है अधिक खनन करना भई गवर्नमेंट ने जितना भी आप लोगों को दिया होगा खनन के लिए आप उतना ही खनन कीजिए गांव में जब भी यहाँ पर ब्लास्टिंग हो रहा है घरों में क्रैक आ रहा है आप घर-घर में जाकर देख सकते हैं और हमारे गांव के जितने लोग भी पंच प्रतिनिधि सरपंच हैं वे सारे बिकाऊ हैं, आज तक कुछ नहीं किए हैं जितने लोग भी यहाँ पर अभी जीतकर आए हैं, मैं यहाँ पर खुले में मैं उन लोगों का विरोध कर रहा हूँ और आगे अभी जो सरपंच आए हुए हैं, उनको तो आमंत्रित नहीं किया गया वह कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मेरा कहना यह है वह उपसरपंच अगर अपना पैसा लगाकर भी पानी पिलाने की कोशिश किया अभी शुरुआत में गांव में तो उस सरपंच का विरोध किया कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि हम आपको गिरा देंगे यह कौन सी बात हुई भई पानी तो हर आदमी की जरूरत है न बिना जल के कोई जीवन ही नहीं है तो यह बड़ा मुद्दा है पानी और दूसरा है सबसे बड़ा पॉल्यूशन। ग्राम पंचायत रिसदा में इतना अधिक पॉल्यूशन है कि आप यहाँ 10 दिन रुक जाओ आपको अगर त्वचा रोग न हो जाये तो फिर आप मेरा नाम बदल देना। फिर अब मैं क्या बोलूँ आप सभी लोग यहाँ पर आकर देखिए बहुत गंदे तरीके से पॉल्यूशन है त्वचा रोग हो रहा है लोगों को दाद खाज खुजली हो रहा है इससे तो इस पर गवर्नमेंट और या आपके प्लान्ट वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस लेवल पर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए वह हाई लेवल चल रहा है और यहाँ तक

से इवन गांव वाले जब यह प्लांट आने से पहले हम आराम से खाना खाकर घर के बाहर टहल सकते थे आज वह टहलने की भी व्यवस्था नहीं है तो यह भी एक मुद्दा है कि गांव के सारे बच्चे क्या खाना खाकर घर के अंदर थोड़ी रहेंगे, स्कूल से जाकर क्या घर अंदर थोड़ी रहेंगे, उनके खेलने कूदने का कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है तो इससे स्वास्थ्य में सभी लोगों का बदलाव आ रहा है जिससे उनकी हड्डियाँ कमजोर हो रही है मांस उनका कमजोर हो रहा है मसल्स कमजोर हो रहा है जब बच्चे बाहर निकलेंगे ही नहीं कुछ खेलकूद नहीं करेंगे तो वह कहाँ से हेल्दी रहेंगे तो इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ आप सभी लोग कुछ ध्यान दें यह तीन मुद्दा हो गया। चौथा मुद्दा यह हो गया मैडम कि यहाँ पर जो है अभी हमारे कुछ यहाँ पर भाई जो खड़े थे वह बोले की 90 परसेंट हमारे गांव में लोगों को रोजगार मिल चुका है मैं बोल रहा हूँ एक बार सर्वे कीजिए आपको पता चल जाएगा कि 90% है कि 40% है कि 30 % है यहाँ पर एकदम झूठ बोला जा रहा है युवा सारे घूम रहे हैं जबरदस्ती का लोग जो है सब घूम रहे हैं बेरोजगार होकर पढ़े-लिखे युवा रोज इन्हीं लोगों के चक्कर लगा रहे हैं कि भैया मेरा जॉब लगवा दो भैया मेरा जॉब लगवा दो वैकेंसी निकाल रहे हैं यह होगा वह होगा बोलकर घुमाये जा रहे हैं अगले 1 अप्रैल को आना तो यह चल रहा है गांव में तो युवाओं के प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है 90% का जो बात बोला गया है वह बिल्कुल बेबुनियाद है वह, तो मेरा यही कहना है कि आप इसी सब पर ध्यान दीजिए और बाकी हमको किसी भी कोई पार्टी आकर यह बोले कि हमारा यह है हमारा है वह है तो हमको कोई लेना-देना नहीं है हम ग्राम वाले हैं हमको हमारे ग्राम का विकास चाहिए बस और खेल भूमि का मैदान चाहिए ताकि बच्चे खेल सकें और पढ़ाई कर सकें और बाकी जो हो रहा है मैडम कि आए दिन यह जो ट्रक चल रहा है उस पर लोग कुचल कुचल कर मरे जा रहे हैं तो आप सारे यहाँ पर पर्यावरण की बात कर रहे थे मैं यह पूछ रहा हूँ आप सभी लोगों से पर्यावरण से ज्यादा कीमती है क्या इंसान की जिंदगी, उससे कमजोर है क्या आदमी का जिंदा रहना भी तो जरूरी है न जितना पर्यावरण का रहना जरूरी है तो आप लोग रोड का कुछ करिए मैडम डिवाइड कीजिए रोड कहीं दूसरे एरिया में बनाइए आप बाहर से कहीं से निकालिए रोड गांव में आए दिन ट्रक चलकर बच्चे मर रहे हैं बुजुर्ग मर रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए जितना पर्यावरण बचाना है उतना ही इंसानों को भी बचाना जरूरी है तो मेरा आप लोगों से बस यही गुजारिश है।

11. श्रीमती श्याम कन्या भारती ने कहा कि नमस्कार मैडम, मेरे भाई बहनें सभी को नमस्कार। हमारे देवार मोहल्ला में जो भी है 40 साल हो गए 40 साल में जो भी जीते हैं सरपंच से लेकर सचिव, सचिव से लेकर पूरे सरपंच तक आज हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं किए हैं जो भी जाते हैं उन्हें कहते हैं कार्ड तुम्हारा अभी बनेगा नहीं बाद में बनेगा कह कर घुमा देते हैं सचिव, दो कॉलेज लड़का पढ़ रहा है, दो-दो कॉलेज जब लड़के पढ़ रहे हैं तो आज कबाड़ी कर रहे हैं वही कंपनी में हम डालना चाह रहे थे

बच्चों को कुछ बन सके कुछ हो सके कहकर सचिव के पास गए तो कहते हैं फार्म तुम्हारा नहीं भर सकता सरपंच नहीं भर सकता। वह पहले वाला खूँटे जी उन्हीं के पास पहले गए थे और 40 साल हो गए और 40 साल के आते तक हमने इंदिरा आवास डाला है इंदिरा आवास का कुछ भी पता नहीं है अब तक 40 साल हो गए और 40 साल के आते तक हमें इंदिरा आवास का कुछ का व्यवस्था नहीं दिया गया है अभी हम जाते हैं रोड में उस रोड में जैसे बच्चे खेल रहे हैं उस रोड में कहीं खेलेंगे तो आदमी का जीवन छूट जाएगा ऐसे ढंग से वहाँ पर यह हो रहा है जो भी है सरपंच भैया, सचिव किसी को भी जाकर बोलते हैं तो वे हमारी सुनवाई नहीं करते हैं आज कंपनी वाले भैया के पास जाकर हमने गुहार लगाया तो आज हमें बोर की व्यवस्था किए हैं बोर की व्यवस्था किए हैं तो टंकी की व्यवस्था नहीं है सड़क की व्यवस्था नहीं है इंदिरा आवास का नहीं है पट्टा का नहीं है पट्टा हमें दिलवा दीजिए गरीब आदमी है साहब हमें पट्टा दिलवा दीजिए और जो भी बाल बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वह सही तरीके से नहीं है कुछ सुनवाई नहीं है जो भी जाते हैं हम सचिव के पास तो कुछ तुम्हारा बन नहीं पाया है कुछ नहीं हुआ है यहाँ के तुम लोग निवासी नहीं हो कहते हैं।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आपकी कोई समस्या होगी तो लिख कर दे दीजिए यहाँ पर।

12. उप सरपंच, ग्राम पंचायत ढनढनी ने कहा कि मैं जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।
13. श्रीमती सुमन भारती, ग्राम रिसदा ने कहा कि भाइयों और बहनों मैं सभी को नमस्कार करती हूँ आज मेरे पति मर गए चार-पांच साल हो गए हैं मैं यही बोल रही हूँ बार-बार जाती हूँ तीन-चार फॉर्म दे दिया है मैंने निराश्रित का, मेरा निराश्रित नहीं बना है यह बात नहीं है जो महतारी योजना का पैसा आता है वह भी तो 500 रु. मेरा कट रहा है आवेदन भी लगाया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आवेदन दे दीजिए यहाँ।

14. श्री मनीष कुमार कोठारी, ग्राम ढनढनी ने कहा कि हमारे तीनों गांव के रिसदा, कुकुरडीह, ढनढनी के तीनों गांव के जितने भी युवा हैं उसको 90% रोजगार दिया गया है और आगे भी मिलता रहेगा जिससे हमारे आसपास के गांव के जितने भी बेरोजगार भाई हैं उन सबको रोजगार मिलेगा और जिसको मिल चुका है उसका घर परिवार बढ़िया व्यवस्थित है इसलिए मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ हार्दिक दिल से।

15. श्रीमती कविता धृतलहरे, जनपद सदस्य ने कहा कि ग्राम ढनढनी में यह जनसुनवाई हो रही है मुझे दूसरे से पता चला है मैं रायपुर में थी तो यहाँ तक आई कि मेरे गांव ढनढनी में यह जनसुनवाई हो रही है लेकिन मैंने गांव में फोन करने पर महिलाओं से पूछा आप लोगों को कुछ जानकारी है क्या कहकर, तो बोले कि इस चीज के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है दीदी ग्राम रिसदा से कोई महिला नहीं आए हैं जनसुनवाई हो रही है हमेशा इस ढनढनी में ही क्यों होता है रिसदा गांव में भी होना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा कहीं जनसंख्या रिसदा गांव में है उन्हें भी सभी चीज की जानकारी होनी चाहिए गांव के लोगों को इन सब चीज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहती है और जो कंपनी है गांव के पढ़े-लिखे जो लड़के हैं गांव में बेरोजगार इधर-उधर घूम रहे हैं एम.ए. बी.ए. किए हैं कंपनी का चक्कर लगा लगा कर थक जा रहे हैं लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है उसके लिए मैं इस कंपनी से विरोध करती हूँ और हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है पंच सरपंच है गांव के उन्हें भी पता नहीं है इसके लिए भी मैं विरोध करती हूँ हमारे यहाँ का 100 एकड़ खेत गया है कंपनी वाले कहते हैं कि 90 प्रतिशत काम हुआ है कहकर आज रिसदा में 90 क्या 50 कुछ भी प्रतिशत नहीं हुआ है कुछ-कुछ मरम्मत का काम करवा देते हैं न शिक्षा में कोई ढंग के टीचर है न कुछ नहीं है पूरे बच्चे पढ़े लिखे गांव में इधर-उधर घूमते रहते हैं कोई सुख सुविधा नहीं है जो कंपनी से मिलना चाहिए ग्राम रिसदा को उसमें किसी चीज का सुविधा नहीं है इस कारण विरोध मैं कर रही हूँ ग्राम रिसदा में मेरे क्षेत्र में चार ग्राम पंचायत आता है जिसमें परसाभदेर भी है यहाँ के सदस्यों को भी जानकारी नहीं दी है आज ग्राम ढनढनी में एनओसी के लिए यह रखा गया है जनसुनवाई ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
16. श्री कृष्णा वर्मा, पंच, ग्राम पंचायत कुकुरडीह ने कहा कि यहाँ पर सभी उपस्थित अधिकारी गणों को और गांव से आए हुए जनता और गणमान्य नागरिकों को इस जनसुनवाई में सभी का स्वागत है। इस न्यू विस्टा सीमेंट प्लांट हमारे गांव के लिए अनेक हितकारी काम किए हैं जैसे- स्पोकन इंग्लिश, कम्प्यूटर क्लासेस, खेल के विषय में बहुत सारे काम किए हैं, जिससे आज हमारे गांव में कम्प्यूटर चलाना नहीं जानते थे वे बच्चे लोग 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे लोग शौक से कम्प्यूटर क्लास जाते हैं, उससे उत्साह बढ़ रहा है बच्चों का, स्पोकन इंग्लिश में हमारे पाण्डेय सर हैं संदीप पाण्डेय वह अच्छी तरह से सभी को शिक्षा दे रहे हैं, हमारे बच्चे मेरी खुद की लड़की जाती है वहाँ पढ़ने के लिए और बढ़िया इंग्लिश में बोलने लग गई है अभी तो और खेल के विषय में आसपास के एरिया में कहीं भी अभी वार्ड वॉइस मैच नहीं हुआ है। हमारे न्यूको सीमेंट प्लांट के सहयोग से वार्ड वॉइस मैच हुआ है। बड़े बुजुर्ग सभी लोग मैच खेलते हैं खेल का आनंद लेते हैं। यह सब हुआ है न्यूको सीमेंट प्लांट की वजह से हुआ है, जिसमें सभी लोग खेल रहे हैं और कबड्डी के लिए भी प्लांट का विशेष सहयोग रहता है। हमारा गांव तीनों प्लांटों से लगा हुआ है लेकिन

जो सहयोग न्यूको सीमेंट प्लांट करता है, वह अड़ानी और अल्ट्राटेक दोनों कोई सहयोग नहीं करता है, लेकिन हमारा न्यूको प्लांट सहयोग करने के लिए बहुत आगे और तत्पर रहते हैं। इसके लिए सीएसआर टीम और प्लांट प्रबंधन टीम को मैं तहेदिल से स्वागत करता हूँ और इस जनसुनवाई का पूरे जोर से स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ।

17. श्री सुरेन्द्र साहू, ग्राम ढनढनी ने कहा कि इस जनसुनवाई का पुरजोर समर्थन करता हूँ और बाहरी लोग जितने लोग आए हैं, वे राजनीति चमकाने आए हैं यहाँ और कुछ करने नहीं आए हैं। समर्थन के पीछे महत्वपूर्ण कारण है जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं ग्रामीण का आधारभूत संरचना है, जिनमें सीएसआर के द्वारा तालाब गहरीकरण, पचरी निर्माण, सीसी रोड और विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहन आदि है। एक ओर जहाँ माइंस का विस्तार हो रहा है, वहीं उसकी पूर्ति के लिए वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान किया जा रहा है और आशा है आगे भी युवा पीढ़ी को उनके सपनों को साकार करने और अच्छे जीवन यापन के लिए कंपनी हमेशा अग्रसर रहेगा। रोजगार के साथ ही उनकी उचित मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा एवं न्यूनतम मजदूरी काम के घंटों के साथ-साथ उनके साप्ताहिक अवकाश का भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि कारखाना अधिनियम 1948 में निर्दिष्ट है। खेल व युवा विकास में खेलों के माध्यम से छुपी हुई प्रतिभा को उभारने एवं प्रोत्साहन के लिए कंपनी अथक प्रयास करती है। मैं इस जनसुनवाई का फिर से एक बार पुरजोर समर्थन करता हूँ।
18. श्री मनोज कुमार साहू, ग्राम रिसदा ने कहा कि रिसदा में न्यूको सीमेंट प्लांट खुलने से हमारे गांव में बहुत ही अच्छा तरक्की हुई है और याद यह है कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे थे सर बेरोजगार थे महिलाओं को छोटे बच्चों को पकड़ पकड़ कर हम लोग बाहर जा रहे थे कंपनी खुला तो हम लोगों को जो पढ़ा लिखा है शिक्षित बुजुर्ग है जो भी जितने जितने लेवल से काम करने के लिए तैयार हैं उनको रोजगार मिल गया है, अन्यथा हमारे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था, सीसी रोड की व्यवस्था और जो भी व्यवस्था कंपनी दे रहा है, वह व्यवस्था पूरे को मिल रहा है और हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं उन लोगों को खेलने कूदने के लिए गार्डन में मंदिर बना दिया गया है वहाँ हमारे लड़के लोग जाकर कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी अपना टाइम पास करके घूम फिर कर बहुत लोग आ रहे हैं और हमारे प्रति कोई कोई पहुंच पा रहे हैं कि कंपनी में जाकर के कि सर जी हमको इस चीज की जरूरत है हमारा एक लड़का घूम रहा है बेरोजगार घूम रहा है, उनको आप कंपनी में जो भी आपके लिए डिजीजन से नौकरी उनको दिलाइए चाहे झाड़ू मारने की नौकरी हो

बिल्कुल हमारा समर्थन कर रहे हैं, काम बनाने के लिए हम भरपूर सहयोग है समर्थन है।

19. श्रीमती किरण बाई वर्मा, सचिव, सहायता समूह ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई में समर्थन करती हूँ।
20. श्री किरण कुमार साहू, ग्राम रिसदा ने कहा कि यहाँ पर आए हुए अतिथि गण को मेरा प्रणाम और न्यूको सीमेंट प्लांट में हमारे गांव में सीएसआर मद से विभिन्न जनहितकारी कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और महिला समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं। सिलाई कढ़ाई का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस चला रहे हैं, जिससे बच्चे लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस जनसुनवाई का तहेदिल से जोरशोर से समर्थन करता हूँ।
21. श्रीमती सुशीला साहू, अध्यक्ष, स्व सहायता समूह ने कहा कि मैं न्यू विस्टा लिमिटेड संयंत्र प्रबंधक महोदय जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे गांव के जितने भी युवक युवती, हमारे गांव में जितने भी नवयुवक और नवयुवती जितने भी बेरोजगार हैं, उन्हें भी काम दिया जाए, क्योंकि आज लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है, लड़कियाँ भी लड़कों का मुकाबला कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हमारे जो यहाँ कंपनी में संयंत्र में उन्हें कार्य नहीं दिया जाता, भले ही वे कितने अच्छे से शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं और हमारी कुछ इसमें मांग भी है। योग्यता अनुसार काम दें, बाउंड्रीवॉल और सेनेटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण और सामग्री और सहयोग राशि देने के लिए आवेदन है और योगा भवन बनाने के लिए आवेदन है, जिससे लोग योग करके निरोग हो सके, महिलाओं के लिए गार्डन निर्माण और सरार में सौंदर्यीकरण के लिए आवेदन, किशोरी विवाह के लिए सहयोग राशि, न्यू विस्टा लिमिटेड प्रबंधक से आग्रह करती हूँ और कम्प्यूटर और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के लिए हमारे ग्राम पंचायत ढनढनी में एक भी व्यवस्था नहीं है, इसका भी मैं मांग करती हूँ। स्वच्छता और साफ सफाई के लिए प्रोत्साहन राशि और सामग्री प्रदान करने के लिए मैं न्यू विस्टा लिमिटेड संयंत्र से मैं मांग करती हूँ। यह मैं अपनी मांग पत्र है, यह सब हम लोगों की मांग है, यह सब पूर्ण हो जाए तो मैं इस जो शिविर रखा गया है उसका समर्थन करती हूँ।
22. श्री विकास कुमार वर्मा, ग्राम मल्दी ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का खुले दिल से समर्थन करता हूँ। मेरे गांव में बहुत सारे काम हुए हैं जैसे— तालाब गहरीकरण का काम हुआ है, सीसी रोड का निर्माण हुआ है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जो बेरोजगार युवा थे, जो लोग लोकल में कम से कम 80 से 85 परसेंट लोकल थे वे

यहाँ काम करते हैं, जिससे उनका रोजगार घर चलाने में उन लोगों को समर्थन मिलता है और मैं इस जनसुनवाई का खुले दिल से समर्थन करता हूँ।

23. श्रीमती प्रमिला मानिकपुरी, ग्राम ढनढनी ने कहा कि महिला समूह को रोजगार की जरूरत है और मैं इसे समर्थन करती हूँ।
24. श्री जितेन्द्र धुरंधर, ग्राम रिसदा ने कहा कि मैं आज के इस जनसुनवाई के पक्ष में अपनी दो-चार बात रखना चाहता हूँ। जब प्लांट नहीं आया था यहाँ इस क्षेत्र में हमारे गांव में तो यह तीनों पंचायत रिसदा, ढनढनी और कुकुरडीह की दयनीय स्थिति थी, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं, यहाँ खेले कूदे, यहाँ सब चीज किए हैं, हमें मालूम है। आज जो आदमी के आय का जो साधन बढ़ा है, मात्र और मात्र इमामी और न्यू विस्टा कंपनी के बंदौलत बना है। आज हम लोग इस मंच में आकर जो बात कर रहे हैं, यह भी न्यू विस्टा की देन है। विकास तो विभिन्न प्रकार के हर क्षेत्र में हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि पानी की समस्या है, पानी की समस्या रिसदा भर में या न्यू विस्टा प्लांट में नहीं है, पूरे संपूर्ण भारत की स्थिति है, हर जगह ड्राई होते जा रहा है, लेकिन न्यू विस्टा प्लांट द्वारा 12 महीने गांव में पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे सिलाई कढ़ाई में हो, चाहे हर गांव में जो दैनिक मांग है या दैनिक जो काम है सीसी रोड, नाली निर्माण, मकान, इन सब काम को कंपनी द्वारा पूर्ति की जा रही है और मैं तो चाहूँगा कि प्लांट आगे और विस्तार करें और जनसुनवाई करें और उसके पक्ष में हम बात करें। यही कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ और न्यू विस्टा कंपनी के आज के जनसुनवाई का मैं पूरा-पूरा समर्थन करता हूँ।
25. श्रीमती किरण साहू, ग्राम ढनढनी ने कहा कि कंपनी से जितने भी काम हुए हैं, उनसे मैं संतुष्ट हूँ। मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ और कंपनी से रिक्वेस्ट करती हूँ जितना भी जो कुछ भी मांगे हैं, उसको पूरा करें।
26. श्री अमित मानिकपुरी आत्मज पूरन मानिकपुरी ग्राम ढनढनी ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ, लेकिन कुछ-कुछ चीजों के लिए मैं थोड़ा सा अवहेलना करना चाहूँगा, आदरणीय अधिकारियों से भी और कुछ हमारे प्लांट के अधिकारी गण हैं। मैं मानता हूँ कि कहीं-कहीं भी समस्याएं होती हैं वहाँ पर वे निवारण करते हैं, लेकिन 24 x 7 मतलब 24 घंटे इन लोग जो हैं समस्या का निवारण करने के लिए रेडी नहीं रहते हैं, मैं उस चीज को समझता हूँ कि 24 घंटे काम नहीं हो सकता है, लेकिन उस चीज में बिल्कुल इन लोग ध्यान दें और उस चीज को करवाएं, उससे ज्यादा मुझे कोई इच्छा नहीं है, बाकी काम का इशू नहीं है, सारा कुछ पंचायत से लेकर रोड का सारा कुछ कर रहे हैं।

27. कु. माधुरी वर्मा ने कहा कि मैं 12वीं क्लास पढ़ने के बाद अपने गांव में रिसदा में खुला है सिलाई और पार्लर कंपनी द्वारा उसमें मैं सिलाई और पार्लर दोनों कोर्स करके अपना खुद का दुकान खोली हूँ सिलाई और पार्लर अगर मैं बाहर जाती कुछ सीखने के लिए सिलाई या पार्लर तो 10,000-20,000 तो मुझे लगता ही यह सीखने में तो मैं उसमें फ्री में सीख गई मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे गांव में कंपनी द्वारा खोला है सिलाई और पार्लर।
28. श्री डेमन लाल पवन वर्मा, क्षेत्रीय जनपद सदस्य ने कहा कि आप सभी को नमस्कार। मैं इस न्यू विस्टा सीमेंट लिमिटेड का जो आज पर्यावरण का जो स्वीकृति के लिए लगा है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। विरोध करने का कारण मेरा यह है कि आज आप सीमेंट प्लांट के द्वारा जो बाहर से वेस्ट मटेरियल लाकर जो यहाँ खपाया जाता है, उसके धुएं से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वह बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि उससे हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही जितने भी आपके प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल हैं, वह रोड किनारे आप जाकर के अभी भी देख लीजिए रोड किनारे खाली कर दे रहे हैं, उससे जंगल, जमीन सब नुकसान हो रहा है उससे और न ही पर्यावरण के नाम से वृक्षारोपण तो दिखता ही नहीं है यहाँ नाम से होता है कि यहाँ 1000 पेड़ 10000 पेड़ यहाँ लगा दिए, लेकिन वह पेड़ लगा दिया जाता है, लेकिन उसका न तो देखभाल होता है, न कुछ होता है। इससे आज पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। माइंस का जो गिट्टी आता है आपका क्रेशर लगा है, न वहाँ उसको वहाँ पानी डाला जाता है, न कुछ नहीं उससे जो धूल निकलता है, वह हमारे खेतों में जाकर भर रहा है और शरीर में भी उसका नुकसान हो रहा है, आप घर में जाओ घर को छुवो आपके हाथ में आ जाएगा पूरा वेस्ट मटेरियल धूल जो है, इसलिए अगर इसका अच्छा सा उपाय नहीं किया गया तो यह आने वाले समय में बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हमारे आसपास आपके प्लांट के आसपास जहाँ छोटा सा जंगल है खैरवारडीह उसका न तो कोई देखभाल कर रहे हैं आप लोग, उसका दोहन बस कर रहे हैं आप लोग, वह इतना खराब हो चुका है कि वहाँ की लकड़ी कटते जा रहा है, साथ ही जितना वहाँ के जंगली जानवर है वह यहाँ से पलायन करके खेतों में जा रहे हैं, खेतों को नुकसान कर रहे हैं किसानों का, इसलिए आप लोगों का मैं इसका जन समर्थन नहीं कर रहा हूँ मैं इसका विरोध कर रहा हूँ आप लोगों का।
29. श्रीमती गायत्री वर्मा, ग्राम रिसदा ने कहा कि मैं सब्जी की गतिविधि करती हूँ और रिसदा के समूह को मीटिंग करने के लिए कुछ भवन भी मिल चुके हैं इसके लिए मैं समर्थन करती हूँ।

30. श्री हरिशंकर धृतलहरे, ग्राम चिरपोटा ने कहा कि मैं न्यू विस्टा प्लांट का समर्थन करता हूँ बेरोजगारों को रोजगार मिले और कहीं भाई लोग बेरोजगार घूम रहे थे बाहर जा रहे थे अपने बीवी बच्चों को लेकर आज इस प्लांट के बनने से अपने घर में अपने परिवार के साथ अपना रोजगार कर रहे हैं।
31. श्रीमती ओम कुमारी ध्रुव, ग्राम ढनढनी ने कहा कि मैं न्यू विस्टा प्लांट की जनसुनवाई में खुले दिल से समर्थन करती हूँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे गांव में पानी की कमी नहीं है यह मुझे सबसे अच्छी लगी।
32. श्री भूपेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि मैं माइंस का कर्मचारी हूँ मैं जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ कि इन्होंने ग्राम ढनढनी में वन विभाग ने 8000 एकड़ में वृक्षारोपण किया है।
33. श्रीमती टिकेश्वरी साहू, ग्राम ढनढनी ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई में समर्थन करती हूँ।
34. श्री डेरहा राम साहू, ग्राम ढनढनी ने कहा कि आज उपस्थित आदरणीय मैडम, प्लांट से आए हुए कर्मचारी गण, शासन से आए हुए कर्मचारी एवं मेरे भाई आसपास से आए हुए सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर देखा जा रहा है कि विरोध करना एक वाजिब है एक चीज जाने अनजाने में विरोध करने के लिए सजगता है, लेकिन सही मायने में अपने गांव में अभी तक के 80 परसेंट बच्चे लगे हैं लिस्ट दिखा देता हूँ मैं, लेकिन अभी जो चिल्ला कर गए हैं वह आदमी एक व्यक्ति को लगाया होगा तो बता दे, उनके पास गए हैं मैं काउंट कर रहा हूँ बस लग रहा है लगाया गया है तो बालक दास मानिकपुरी जी और हम और हमारे कुछ सज्जन लोग रोजगार के माध्यम से कंपनी में आज रोजगार मिला है। आप देख लीजिए एक व्यक्ति को रोजगार मिला है उसके माध्यम से दुकानदार, उनके पीछे पूरा परिवार प्लस क्षेत्र का विकास हो रहा है, यह रोजगार का मायने होता है आज नहीं तो दर-दर आदमी भटक रहे थे आदमी पलायन करके बाहर जीने खाने के लिए जाते थे आज के युग में देखो तो ठशन से कम से कम एक दो आदमी गया होगा जीने खाने के लिए नहीं तो कोई नहीं गया है रोजगार यह चीज होता है, आज अच्छे से है खुशी से है। न समर्थन करना अलग बात है लेकिन हैसियत अंतराल तक के उनके बारे में जानकारी रहना और जानकारी में अपने दिमाग में बसाकर उस जानकारी की समस्या को हल करना बहुत ही मायने रखता है। यह चीज करना नहीं है यहाँ हो हल्ला करना जरूरी है, प्लांट स्टार्ट है, प्लांट स्टार्ट के साथ-साथ अगर प्लांट की कंपनी का रूपरेखा बढ़ेगा, स्रोत बढ़ेगा तो कल रोजगार की संख्या बढ़ेगी, तो रोजगार के बारे में कोई बात नहीं करते। पर्यावरण के लिए अपने गांव में भी बहुत सुंदर पेड़ खेतों में लगाया गया है, आज बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बड़ा सुंदर पेड़ है और तालाब में भी लगाया गया है। वृक्षारोपण हर एक साल

करते हैं तो कंपनी के माध्यम से कमी नहीं है, तालाब में गहरीकरण हुआ है, पानी की समस्या की बात ही नहीं है तो थोड़े बहुत जो टैंकर का भी व्यवस्था किया गया है। मैं समर्थन करता हूँ, कंपनी आगे बढ़े, फले फूले और लोगों को रोजगार दे, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।

35. श्रीमती शकुंतला ने कहा कि मैं गांव के समूह में काम करती हूँ, अपने समूह के दीदी लोगों के लिए कुछ कार्य बोलना चाहती हूँ जैसे सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर सब खुला है, वैसे ही हमारे गांव ढनढनी में भी होना चाहिए, जिसमें बच्चे हैं जैसे बड़े बच्चे हैं जिसे सिलाई करना है कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर कर सकते हैं, यहाँ काम कर सके जो महिलाएं अभी खाली बैठे हैं, उन्हें भी काम मिल सके, तो मैं सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर के लिए निवेदन करती हूँ और मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
36. श्री जितेन्द्र खुंटे, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रिसदा ने कहा कि इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ मेरा प्लांट प्रबंधन से निवेदन है कि ग्राम के चंडी तालाब, बंधुवा तालाब में सौंदर्यीकरण करें। साथ ही साथ वहाँ वृक्षारोपण करें और पेयजल की समस्या से निपटने के लिए मैं प्रबंधन से चाहूँगा कि वह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना करें, जिससे प्रभावित गांवों में पेयजल की आपूर्ति हो सके। फिर से एक बार मैं प्लांट का समर्थन करता हूँ।
37. श्रीमती कुसुमलता मानिकपुरी ग्राम ढनढनी ने कहा कि ग्राम पंचायत ढनढनी में गरीब बच्चों के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण सेंटर खुलवाने की कृपा करें। आवागमन का साधन नहीं होने के कारण महिलाएं दूसरे गांव नहीं जा पाते हैं। महोदय क्योंकि मैं स्वयं सिलाई, ब्यूटी पार्लर की प्रशिक्षक हूँ अपने ग्राम पंचायत ढनढनी में सिलाई व ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देने की इच्छुक हूँ, अतः महोदय से निवेदन है कि हमारे ग्राम पंचायत ढनढनी में ब्यूटी पार्लर व सिलाई प्रशिक्षण सेंटर खुलवाने की कृपा करें। मैं इस जनसुनवाई का पूरे मन से समर्थन करती हूँ।
38. श्री जंगेश सोनवानी, ग्राम रिसदा ने कहा कि मैं प्लांट का समर्थन नहीं करता हूँ समर्थन इसलिए नहीं करता हूँ प्लांट ट्रक से गीला कचरा लाता है और उसको डंप करके उसको एफ आर यूनिट जो लगा है तालाब उससे प्रदूषित होता है और गीला कचरा से पूरा वायु प्रदूषण हो रहा है इसलिए मैं समर्थन नहीं करता हूँ।
39. श्रीमती रश्मि मानिकपुरी, ग्राम ढनढनी ने कहा कि जनसुनवाई का हृदय दिल से समर्थन करती हूँ।
40. श्री संतोष तिवारी, बलौदाबाजार ने कहा कि बलौदाबाजार जिले में 07 सीमेंट प्लांट हैं आप सभी की जानकारी में होगा और बेरोजगारी का स्तर इतना ज्यादा है कि हर एक गांव में इतने बेरोजगार हैं कि अगर यह प्लांट वाले चाहे तो उनको रोजगार दे सकते

हैं, पर यहाँ कुछ लोग जो चुनिंदे ठेकेदार हैं और कुछ सिखाए हुए जो लोग हैं, वे लोग आकर यहाँ पर भरपाई करने आए हैं, आज इस जनसुनवाई का यह मतलब क्या हुआ कि आप यह सोचें कि जो पर्यावरण जिस पर्यावरण के कारण आज यह पूरा छत्तीसगढ़ पानी का स्तर जहाँ 700 फुट तक पानी नहीं है उसके पीछे केवल एक ही रीजन है कि आप लोगों ने जो माइंस खोला हुआ है उस माइंस को पाटने का काम आप लोगों का है जो आप लोगों ने आज तक माइंस को पाटा नहीं और उसका पूरा पानी बलौदाबाजार का उस माइंस में जा रहा है, बलौदाबाजार में 700 फीट तक पानी नहीं है, यह बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोगों को माइंस पाटने का अधिकार है कि नहीं। आप लोग माइंस क्यों नहीं पाटते, आप लोग पूरा माइंस को खोल कर रखे हैं, जिससे पूरा बलौदाबाजार आसपास का 25-30 किलोमीटर पानी नहीं है एक बूंद और बात रही पर्यावरण की तो पर्यावरण केवल आप लोग दिखावा के रूप में कर रहे हैं। ऐसे जनसुनवाई का मैं विरोध करता हूँ और खुला मन से विरोध करता हूँ, जनसुनवाई ऐसी होनी चाहिए जिस पर कुछ अमल हो, यह चंद ठेकेदारों के बोलने से यह जनसुनवाई सफल नहीं होगी आप लोगों की, यह बात आप लोग ध्यान से सुन लें कि अगर पर्यावरण सुधारना है तो एक पौधे को लगाने के लिए एक बच्चे के जैसा उसे 05 साल बड़ा किया जाता है न कि नाम में नंबर प्लेट लगवा कर कुछ नहीं करते हैं। एक साल में कोई भी उस पौधे को देखने तक नहीं आता, न उसमें कोई पानी डालता तो कहीं से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा आप मुझे यह बताएं कि यहाँ कुछ लोग आकर समर्थन कर दें, कुछ लोग आकर यहाँ पढ़ लें यह आप लोग उसको समर्थन मानते हैं क्या यह गलत बात है और यह जो आपका जनसुनवाई है यह तो वहाँ होना था परसाभदेर में आपने ढनढनी में करवा दिया इसको। दूसरी बात यह है, देखिए मेरी बात बुरी जरूर सबको लग रही है पर बात यह अच्छी है कि आप लोगों ने जनसुनवाई किया तो उसमें कुछ आप लोगों ने निर्णय लिया होगा निर्णय लें तो आप कम से कम यहाँ का जो पर्यावरण है, उस पर आप लोग विशेष ध्यान दें उस पौधे को लगाने से और फोटो खिंचवाने से वह पौधा बड़ा नहीं हो जाता, उसको बच्चों के जैसे सींचा जाता है 5 साल तब वह वृक्ष बड़ा होता है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ जो बेरोजगारी है, उस पर आप लोग प्लांट वाले विशेष ध्यान दें, बेरोजगारी का स्तर चरम पर है, यहाँ कुछ क्षण लोगों को रोजगारी मिलती है, बाकी लोग अभी भी बहुत से युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। आपसे मेरा यह निवेदन है कि इस सुनवाई से आप लोग पर्यावरण और बेरोजगारी पर ध्यान देंगे।

41. श्रीमती गायत्री वर्मा, ग्राम रिसदा ने कहा कि सीएसआर द्वारा कुछ योजना है, जैसे प्रशिक्षण केंद्र 3 महीने 4 महीने का सिलाई कढ़ाई चल रहा है प्रशिक्षण जिसमें से महिलाएं और बालिकाएं प्रशिक्षण लेकर खुद अपने घर में स्वरोजगार करते हैं, सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, कंपनी द्वारा मुझे रोजगार मिला है। मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।

42. श्री धनवार राम वर्मा, इंटक यूनियन जिला संरक्षक आईएनटीपी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिला संरक्षक ग्राम कुकुरडीह ने कहा कि कुकुरडीह गांव में प्रॉपर 03 प्लांट है। अडानी ग्रुप है, अल्ट्राटेक है और न्यू विस्टा सीमेंट, यह तीनों प्लांट है, इन तीनों प्लांट के कार्यप्रणाली को आप लोग जाकर के कुकुरडीह में देखिए कुकुरडीह में जो भी आज विकास हुआ है वह केवल न्यू विस्टा के चलते न तो अडानी दे पा रहा है और न अल्ट्राटेक और इतनी बड़ी बड़ी प्लांट है और यह प्लांट जो है मल्टीनेशनल प्लांट में गिनती आता है एक छोटा सा प्लांट क्या-क्या सेवा नहीं किया है, गांव में बच्चे लोगों को इंग्लिश स्कूल का फ्री में पढ़ाई करवा रहा है, कम्प्यूटर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सिलाई दिया जा रहा है, गांव के यहाँ कुकुरडीह के जो पंच और सरपंच गण आए हैं वह लोग इस तरह से घुंट घुट कर जाकर यहाँ के मैनेजमेंट से हाथ जोड़कर के पूरा काम करवा रहे हैं और आज वह कर रहा है वही प्लांट यहाँ पर अपना अल्ट्राटेक है और अडानी ग्रुप है वहाँ जाने से क्या-क्या नहीं सुनना पड़ता है आज प्लांट है बलौदाबाजार विधानसभा में पूरे प्लांट में घूमता हूँ लेकिन अभी तक यहाँ का जो मैनेजमेंट है वह जितनी सरलता और संयम स्वभाव के हैं उसके बारे में आप लोग कुकुरडीह में जाकर देख सकते हैं, कुकुरडीह का क्या-क्या विकास कार्य हुआ है, विकास को गिनाऊंगा तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं तहेदिल से एवं हमारे गांव के पंच, सरपंच लोगों ने जो काम किया है, इसके चलते मैं न्यू विस्टा सीमेंट को तहेदिल से मन, श्रम और वाणी से मैं समर्थन देता हूँ।
43. श्रीमती प्रीति सिन्हा ने कहा कि मुझे कंपनी की तरफ से नौकरी मिला है और मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
44. श्री गोकुल ध्रुव, ग्राम कुकुरडीह ने कहा कि मेरे खेत में चूना पत्थर गिरा है कलेक्टर को दिया हूँ तहसीलदार को दिया हूँ एसडीएम को दिया हूँ कोई सुनवाई नहीं है कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं इतना है कंपनी का आदमी थूक में लड्डू बांध रहे हैं मेरे लड्डू को नौकरी दिलवाऊंगा यह करूंगा शिक्षित करूंगा कोई मेरे लड्डू को नौकरी नहीं दे रहा है परमानेंट करूंगा कहकर भरेगा। कंपनी नहीं खुलना चाहिए वह भी परमानेंट करूंगा कह कर बोले थे।
- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आवेदन लिखित में दे दीजिए।
45. श्रीमती रामेश्वरी साहू, ग्राम ढनढनी ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई में समर्थन करती हूँ।
46. श्री होरीलाल वर्मा, ग्राम चंडी ने कहा कि मैं इस न्यू विस्टा कार्यक्रम के जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ।

47. श्रीमती विमला साहू, जागृति स्व सहायता समूह ने कहा कि मैं इसका समर्थन करती हूँ लेकिन मेरी दो-तीन मांग है यहाँ सड़कें बनी है परंतु वह आधा है नालियों की व्यवस्था है, वह इतना ज्यादा अच्छा है कि पानी गिरता है थोड़ा सा तो इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि सड़कों में पानी आ जाता है इसलिए और एक मैं प्रशिक्षित महिला हूँ प्रशिक्षित महिला होने के नाते मेरे पास न कोई रोजगार है न कुछ नहीं है तो यहाँ सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर और बच्चों के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए यही मेरी मांग है।
48. श्री रितुसुदन वर्मा, ग्राम सुढेला ने कहा कि मेरा न्यू विस्टा में माइंस एवं मेनपावर सप्लाई है और मैं लोकल आदमी 70-80 आदमी लोकल आदमी को ही रोजगार मिला हुआ है और सभी को निर्धारित रेट से और वाजिब जो मिलना चाहिए वह पेमेंट मिल रहा है मैं ऐसे रोजगार मिलने वाले फैक्ट्री को तहेदिल से समर्थन करता हूँ।
49. कु. डिगेश्वरी पाल, स्व सहायता समूह से आए हुए सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम। मैं सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की छात्रा हूँ। ग्राम रिसदा में न्यू विस्टा सीमेंट प्लांट चल रहा है इस प्लांट के आने से आसपास के गांव को बहुत फायदा हुआ है गांव के युवाओं को बहुत ही नौकरी मिली है, गांव के आदमियों को ठेकेदारी का काम मिला है और सड़क सुविधा भी प्राप्त हुई है, इसलिए मैं इस जनसुनवाई का पूरा समर्थन करती हूँ।
50. श्री अर्जुन साहू ने कहा कि मैं बेरोजगार था मुझे रोजगार मिला है इसलिए मैं इसमें समर्थन करता हूँ।
51. कु. यशोदा पाल ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम। मैं सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की छात्रा हूँ। ग्राम रिसदा में न्यू विस्टा लिमिटेड सीमेंट प्लांट में चल रहा है। इस प्लांट के आने से हम लोगों को बहुत फायदा है और युवाओं को नौकरी मिली है, बहुत से लोगों को ठेकेदारी का काम मिला है, इसके अलावा और बहुत सी जरूरतों को पूरा किया गया है, इसलिए मैं इस जनसुनवाई का समर्थन पूरा करती हूँ।
52. श्री विवेक वर्मा, ग्राम कुकुरडीह ने कहा कि क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए इस जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ और कंपनी से यह उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो प्रभावित हैं सबसे ज्यादा खनन ग्राम कुकुरडीह में होता है जो लोग प्रभावित है उनके हित को ध्यान में रखते हुए उनकी मांग पर थोड़ा-थोड़ा ध्यान दें।
53. कु. भारती ध्रुव, ग्राम कुकुरडीह ने कहा कि सिलाई एवं कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र की छात्रा हूँ मैं जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।

54. डॉ. कुशल वर्मा, पूर्व सभापति, जिला पंचायत बलौदाबाजार ने कहा कि हमको एक ही चाहिए विकास और विकास के लिए आप सबको मालूम है कि न्यूको विस्टा जिस तरह से विकास की ओर अग्रसर है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो विस्तार के लिए आज जनसुनवाई की गई है उसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ।
55. श्रीमती गंगा साहू, ग्राम रिसदा ने कहा कि मैं समर्थन करती हूँ, यहाँ सबको रोजगार मिला है, जितने भी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिया जाए।
56. श्री कमल बांधे, प्रदेश अध्यक्ष इंटक छत्तीसगढ़, प्रदेश संरक्षक छत्तीसगढ़ पत्रकार संरक्षण छत्तीसगढ़ ने कहा कि आज की छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई में पहुंचे जिला प्रशासन के हमारे समस्त अधिकारी कर्मचारी गण, पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी सम्माननीय रबड़े साहब और हमारे समस्त खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग सहित तमाम विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी गण। आज मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड के पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। स्वागत और समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड जो है पूर्व से कई वर्षों से संचालित है और आज की जो पर्यावरणीय लोक जनसुनवाई जो है केवल क्षमता विस्तार और परसाभदेर माइंस के जो खनन परियोजना के लिए प्रस्तावित है, आयोजित है। उक्त खनन परियोजना के चालू होने से हमारे परसाभदेर, ढनढनी रिसदा समेत आसपास गांव के प्रभावित गांव के हमारे युवा शिक्षित बेरोजगार साथियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार और काम की व्यवस्था हो पाएगी, जिससे वे अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण आसानी से कर पायेंगे। साथ ही गौण खनिज रॉयल्टी मद से मिलने वाली राशि से हमारे ढनढनी और परसाभदेर सहित प्रभावित गांवों का सर्वांगीण विकास भी होगा। साथ ही सरकार को मिलने वाला राजस्व डीएमएफ से हमारे प्रदेश के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। पुनः मैं आज के मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड का स्वागत और समर्थन करते हुए जनहित, मजदूर हित में कुछ मांग भी रखा हूँ कि मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड ग्राम परसाभदेर स्टोनमाइन कंपनी में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को काम और रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। साथ ही वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम की धारा 1981 का कड़ाई से पालन होना चाहिए। पर्यावरण अधिनियम, खनिज अधिनियम, श्रम अधिनियम, कारखाना एक्ट, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है कंपनी संचालित होना चाहिए। साथ ही मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड जो है कम से कम 10000 पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य देना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और उनके पेड़ पौधे का जो है संरक्षण और संवर्धन की जवाबदारी जो है बीच-बीच में हमारे पर्यावरण विभाग के अधिकारी और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा मॉनिटरिंग होना चाहिए। साथ

ही ग्राम वासियों एवं कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाकर निःशुल्क जांच और ईलाज भी होना चाहिए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी प्रबंध होना चाहिए। पुनः मैं अपने मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड कंपनी का स्वागत और समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

57. श्रीमती भगवती जायसवाल, ग्राम रिसदा ने कहा कि आप सभी को नमस्कार मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ क्योंकि हमारे गांव के जो बेरोजगार लोग हैं उसको रोजगार मिला है लेकिन जैसे-जैसे प्लांट में लगा है वैसे-वैसे परमानेंट भी होना चाहिए और महिलाओं को जो समूह से जुड़े हुए महिलाओं को और ज्यादा से ज्यादा काम दिलाना चाहिए।
58. श्री पराशर वर्मा, ग्राम कुकुरडीह ने कहा कि मेरा जमीन इमामी में निकला है और अल्ट्राटेक में दिया हूँ पर अल्ट्राटेक बेईमान है और इमामी कंपनी ईमानदार है, मैं इसका समर्थन करता हूँ।
59. श्रीमती धनेश्वरी ध्रुव, स्व सहायता समूह ग्राम ढनढनी ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का पूरे दिल से समर्थन करती हूँ लेकिन हमारे जो युवाओं को तो रोजगार मिल रहा है लेकिन हमारे गांव की महिलाओं को महिला समूह की महिलाओं को भी कुछ रोजगार मिलना चाहिए ताकि हम अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर पार्ट टाइम कुछ कर सकें और हमारे गांव की महिलाएं आगे बढ़ सकें और हम लोग पूरा सक्षम हो सकें हमारा समूह आगे बढ़ सके।
60. श्री परेश वैष्णव, पूर्व उप सरपंच, ग्राम पंचायत रिसदा ने कहा कि कोई भी उद्योग का जब विस्तार होता है, कोई भी उद्योग का जब परियोजना प्रस्तावित होता है या आगे बढ़ता है तो उसमें प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से अभी रोजगार की बात भी हुई है न्यू विस्टा सदैव तरक्की करें बढ़ते भी रहे और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत रोजगार का सृजन होता है इसको भी हम सभी लोगों को समझाना पड़ेगा। यह लाइमस्टोन माइन्स जो प्रस्तावित है परसाभदेर में उसका मैं एकदम समर्थन करता हूँ और कंपनी को कहना चाहता हूँ कि स्थानीय जब विस्तार होगा तो परसाभदेर के और आसपास के लोगों को आप जैसे रोजगार देते हैं स्थानीय को वैसे ही देंगे और रोजी सही शाट से लेकर जितने भी विकास है वह करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इसका जन समर्थन करता हूँ।
61. श्रीमती सरिता मानिकपुरी, अध्यक्ष सखी सहेली ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का समर्थन करती हूँ।
62. श्री तुलसीराम वर्मा, ग्राम रिसदा, पूर्व मंडी अध्यक्ष बलौदाबाजार, ने कहा कि मैं जन सुनवाई जो हो रही है इसमें कंपनी को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि

जैसे वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया जाता है तो आसपास के ग्राम पंचायत में भी अगर खाली स्थान है तो उसमें भी प्राथमिकता देकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करायें। दूसरी बात खनन उद्योग के साथ खनिज क्षेत्र का विस्तार जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्षेत्र में अगर खनन प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी तो सैकड़ों हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इन सब को देखते हुए मैं इस खनन प्रक्रिया के जनसुनवाई का जोरदार समर्थन करता हूँ। इसका भरपूर समर्थक हूँ न्यू विस्टा सीमेंट प्लांट का।

63. श्रीमती राम बाई ध्रुव, ग्राम कुकुरडीह ने कहा कि इस विस्टा कंपनी में हमारा खेत निकल रहा है हमारे बच्चों को काम में लगायें और उसमें पैसे भी दिलवाएं।
64. श्री दानेश्वर उर्फ दानी वर्मा, पंच, ग्राम पंचायत रिसदा ने कहा कि मैं यही चाहता हूँ न्यू विस्टा सीमेंट प्लांट हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किए हैं रहा सवाल पानी की समस्या अभी हमारे गांव में टैंकर चल रहा है कम से कम 20 ट्रिप पानी प्रतिदिन जा रहा है। मैं पंचायत का प्रमुख सदस्य हूँ और ग्राम पंचायत रिसदा का पंच हूँ। न्यू विस्टा सीमेंट प्लांट सबसे बढ़िया।
65. श्रीमती गीता बाई चेलक, ग्राम रिसदा ने कहा कि हमारा खेत निकला है कंपनी ने नहीं लगाया है मेरे बच्चों को, बेरोजगार घूम रहे हैं, काम लगना चाहिए।
66. श्री संतोष कुमार साहू, बलौदाबाजार ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और यहाँ मिल भी रहा है इसलिए मैं भरपूर समर्थन करता हूँ।
67. श्री महेन्द्र महिलांगे, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत परसाभदेर ने कहा कि यहाँ तो 04 गांव की जनसुनवाई है लेकिन मेरे गांव का एक आदमी सामने में नहीं दिखाई दे रहा है कारण क्या है भाई आने देंगे या नहीं आने देंगे, पीछे में सभी खड़े हैं उन्हें सामने में आने दें।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आप अपनी बात बोलिए यह पर्यावरणीय स्वीकृति है सभी को बोलने का है। आप अपनी बात बोलिए।

श्री महेन्द्र महिलांगे ने कहा कि विरोध तो नहीं करूंगा मैं लेकिन समर्थन देने से पहले कुछ बात रखा हूँ अपने गांव तरफ से अपने पंच तरफ से अपने गांव घर की तरफ से बोलने कहेंगे तो बोलूंगा। समर्थन देने से पहले बात पहली है खनन क्षेत्र की दूरी थोड़ी कम हो एक किलोमीटर से दूर से कम हमारे गांव से दूरी में रहे ताकि हमें ज्यादा परेशानी न हो घर द्वार का नुकसान न हो और दूसरा है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पंचायत में दिया जाए, ग्राम सभा की लिखित अनुमति के बिना कार्य

प्रारंभ न करें और क्षेत्र के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता, जल स्रोत की सुरक्षा की गारंटी क्योंकि हमारे गांव में हमेशा वाटर लेवल कम रहता है और दे भी रहे हैं पानी मैं उनका एहसान नहीं भूलूंगा मेरे गांव में पानी दे रहे हैं लेकिन यह परमानेंट रहे प्रत्येक हेक्टेयर पर 50 पौधारोपण अनिवार्य।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आप अपने सुझाव को जमा भी कर सकते हैं।

श्री महेन्द्र महिलांगे ने कहा कि गांव में स्वास्थ्य सुविधा केंद्र या मोबाइल वैन वाहन, स्कूल विकास हेतु सीएसआर फंड से सहायता, डामरीकरण, सड़क, स्ट्रीट लाईट, पानी टंकी, शौचालय आदि सीएसआर मद के तहत बने, खनन क्षेत्र ट्रक गांव के रास्ते से न निकले, ग्राम सभा पूर्व लिखित समझौता एमओयू अनिवार्य हो। मैं अपनी बात को इतने में बंद करता हूँ यह मैं बोला हूँ यह मेरी बात है लास्ट में बंद करो कहे हैं उसको मैं बोला हूँ।

68. श्रीमती मानिकपुरी, ग्राम ढनढनी ने कहा कि मेरे बेटे को 8 साल हो गए काम करते और मेरे बेटे से पीछे काम कर रहे हैं उनके माता-पिता का इलाज हो रहा है और हम बोलते हैं कि हमारा इलाज कराओ हम बीमार रहते हैं हमेशा हमें कोरोना था तब से हम लोगों का इलाज नहीं होता है तो मैं यहाँ प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हम लोगों का इमामी कंपनी की तरफ से मां-बाप का इलाज होना चाहिए, 8 साल हो गए हैं मेरे लड़के को उससे पीछे लगे हैं उनका इलाज होता है यहाँ कंपनी में जाने से बोलते हैं कि नहीं होगा आपका इलाज बोलते हैं।
69. श्री अभय मिश्रा, ग्राम सरकीपार ढनढनी ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का पुरजोर समर्थन करता हूँ, रही बात पर्यावरण की तो कोई भी इतना बड़ा उद्योग भारत सरकार, राज्य सरकार के निर्धारित किए गए पर्यावरण मापदंडों को ध्यान में रखकर ही संचालित होता है। विस्तार करना बहुत ज्यादा आवश्यक है आज आप देख रहे हैं देश और दुनिया की क्या हाल है आप शुक्र मनाइए हिंदुस्तान में रहते हैं चाईना में कोई जनसुनवाई नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी ताकत लगा रहे हैं कंपनियों का विस्तार करने के लिए और उद्योगों का समर्थन करने के लिए। हम यदि उद्योगों का समर्थन नहीं करेंगे, हमारा देश, हमारा क्षेत्र पीछे रह जाएगा, इसलिए हमारा अनुरोध है कि शासन द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है इसके तहत इस प्रस्ताव को पारित किया जाए और उद्योग को विस्तारीकरण करने में सहयोग किया जाए।
70. कृ. चांदनी यादव, ग्राम ढनढनी ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई के समर्थन करती हूँ।
71. श्री अनिल सिंह ध्रुव, ग्राम ढनढनी ने कहा कि यह सब चीज मैं 12 साल से वहाँ रायपुर में कर रहा था काम। आज तक मेरा यहाँ न्यू विस्टा में काम नहीं लगा है यह

सब चीज क्या है कैसा है सरपंच प्रतिनिधि यह सब चीज मुझे घुमा घुमा कर रख दिए।

72. ग्राम ढनढनी निवासी एक महिला ने कहा कि जब कंपनी नहीं आया था तब यही कहा था सभी का खेत बेचोगे तो काम में लगाएंगे बोलिए आप लोग, मेरे पति को काम में नहीं लगाया गया यह लोग बोलते हैं जब तुम्हारा खेत बेचोगे तो सभी लोगों को काम में लगाएंगे कहते थे लेकिन हमारा तो खेत ही नहीं है तो हम कहाँ से बेचेंगे खेत नहीं बेचे हैं तो नौकरी नहीं लगाएंगे ऐसा कहते हैं इसलिए मैं आप सभी लोगों को काम पर लगवाने के लिए आशा करती हूँ।
73. श्री मानस पाण्डेय, उपाध्यक्ष, प्रदेश यूथ कांग्रेस ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का विरोध करने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना बोलूंगा हम विकास के विरोधी नहीं हैं, पर जो प्लांट की गलत नीतियाँ हैं, जो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं, जो प्लांट में चलने वाली गाड़ियों से डस्ट बाहर उड़ते रहता है, प्लांट का कोयला बाहर पड़े रहता है और जो इस जिले में शिक्षित बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, मैं चाहूँगा कि प्लांट उस पर अपना ध्यान आकृष्ट करें और पर्यावरण के संबंध में इस पूरे जिले में इतनी खाली जगह है जहाँ पर वृक्षारोपण किया जा सकता है, उस पर भी प्रबंधन ध्यान दें और आज और कल हम प्लांट के सही चीजों के समर्थन में रहेंगे और प्लांट की जो गलत नीतियाँ हैं, इसका पुरजोर हम हमेशा विरोध करेंगे। हम यह चाहते हैं कि क्षेत्र के जो लोग प्रभावित हैं, जो धूल धुएँ को सह रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, जिनकी जमीनें प्लांट में गई हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए और जो युवा घूम रहे हैं डिग्री लेकर, प्लांट की जिम्मेदारी है उनको योग्यता अनुसार अपने प्रबंधन में काम दें।
74. श्रीमती इंद्रौती यादव, ग्राम रिसदा ने कहा कि सभी को मेरा प्रणाम है 100 डिसमिल हमारा जगह था मेरे ससुर 25 डिसमिल को बेच दिए हैं और बाकी है तो उसका पैसा नहीं मिला है मैं यादव जाति की हूँ, मेरे पति खत्म हो गए हैं, मेरे देवर खत्म हो गए हैं, मेरे ससुर खत्म हो गए हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरा खेत का पैसा दें।
75. श्री रामचरण बंजारे, उप सरपंच, ग्राम पंचायत परसाभदेर ने कहा कि हमारे गांव में पानी व्यवस्था और नवयुवक लड़कों को कम से कम काम मिलने की व्यवस्था करें और हम लोगों को मालूम नहीं था कि हमारे गांव में यह जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है यह पता नहीं था।
76. श्री जगमोहन धृतलहरे, अध्यक्ष, सतनामी समाज ग्राम रिसदा ने कहा कि जो यह पर्यावरण का समर्थन करता हूँ और मैनेजमेंट और प्लांट से निम्नलिखित मेरी मांग है। आवेदन तो मैं रखूंगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि मांग है तो यहाँ पर जमा कर दीजिए।

श्री जगमोहन धृतलहरे ने कहा कि ठीक है मैडम समस्त ग्राम पंचायत में सभी समाज के सामाजिक भवन सीएसआर के तहत बनता है तो मैं भी चाहता हूँ कि सतनामी समाज का भवन सीएसआर के तहत बनाया जाए और हमारे गांव रिसदा में सिंचाई नहर जो जर्जर रूप से है, उसको पक्की बनवाया जाए, जिससे पानी सफलता पूर्वक हमारे ग्राम रिसदा में पहुंचे। हमारे रिसदा में रोड में कई आदमी एक्सीडेंट से मर रहे हैं, अधिकारियों से निवेदन है कि बाईपास बनवाने की कृपा करें। हमारे रिसदा में पर्यावरण क्षतिग्रस्त हुआ है, हमारे गांव में कम से कम 10000 पेड़ लगाने की व्यवस्था करें। हमारे ग्राम रिसदा में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, इसका निदान करें।

77. श्री अजय चकोले ने कहा कि नमस्कार क्षेत्रीय अधिकारी जी, एडीएम जी आज पर्यावरण की जनसुनवाई में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पर्यावरण के विषय में बात करूँगा इसके अलावा और कोई बात नहीं करूँगा। सबसे पहले तो यह जो वरदान एनवायरो जो है इन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाया हुआ है, यह कंसलटेंट एक नंबर का फर्जी है, क्योंकि यहाँ रोड से उनको भी मालूम है कि रोड से और गांव से दूरी आधा किलोमीटर दूरी होना चाहिए किसी भी माइंस के लिए, लेकिन यहाँ पर रोड जाकर देखिएगा 200 मीटर, 100 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर माइंस का इन्होंने प्रपोजल रखा, यह टोटल फर्जी है, यह बिल्कुल गलत है, इस तरीके का कोई भी कंसलटेंट नहीं बनाता है, जिसमें कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 2003 का सरासर उल्लंघन है, क्योंकि वहाँ पर 11 केवीए और 33 केवीए की लाइन जा रही है और इसी न्यू विस्टा के लिए जा रही है, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अधिनियम 2003 का सरासर उल्लंघन है। साथ ही साथ माइंस एक्ट 1952 उसमें भी यह है कि कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी होना चाहिए रोड से, लेकिन यहाँ पर 200, 100 मीटर की दूरी पर यह कंसलटेंट बना कर दे रहा है रिपोर्ट, ईआईए रिपोर्ट बना रहा है ऐसा कोई बनाता है क्या ? यह सब फर्जी कंसलटेंट है, इस तरीके का कभी भी ईआईए रिपोर्ट नहीं बनाना चाहिए न कि ऐसा प्रपोजल वे पास भी करा सकते हैं। साथ ही साथ इस गांव में करीब-करीब ढनढनी गांव में 100 एकड़ जमीन इन्होंने उद्योग विभाग से ली, इसी गांव में, उसमें 100 से ज्यादा एकड़ जमीन है।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आप अपनी बात जो है पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अपनी बात रखिए। परियोजना के संबंध में ही बात करिए।

श्री अजय चकोले ने कहा कि चलिए ठीक है मैं उसी में बात कर रहा हूँ वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन 1972 का उल्लंघन है क्योंकि यहाँ पर पास ही में खैरवारडीह का जंगल है, उसमें जंगली जानवर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर यह प्लांट दिया गया है, इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ सभी जो है अपना विचार सुझाव जो है जो बोल नहीं सकेंगे वह लिखित में जो है यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं।

78. श्री अनिल कुमार खुंटे, मुख्य संरक्षक, सतनामी समाज ग्राम रिसदा ने कहा कि मैं इस जनसुनवाई का पूरा समर्थन करता हूँ परन्तु मेरी चार-पांच मांग है। पहली मांग है सीएसआर के तहत हमारे ग्राम रिसदा में सभी समाजों के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया है, एक सामुदायिक भवन हमारे समाज के लिए भी सीएसआर के तहत बनाया जाए। दूसरी मांग हम देखते हैं कि अंबुजा हो या श्री सीमेंट हो जहाँ पर भी रोड में चलते हैं तो आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर तक पूरा वृक्षारोपण हुआ रहता है, यह इस प्लांट से मेरा निवेदन है कि हमारे भी ग्राम के पूरे बाईपास में 1 किलोमीटर के अंदर में पूरे रोड के दोनों तरफ वृक्षारोपण किया जाए दूसरी मांग है। हमारे ग्राम रिसदा में जो आबादी जमीन में जो मकान बनाए जिस समय प्लांट बना उस समय उसको कहा करके जो हमारे नागरिक थे उनका घर तोड़कर दूसरे जगह बसाया गया है उनका अभी तक पक्का पट्टा दिया नहीं गया है, मैं प्लांट से निवेदन करता हूँ उन सभी का।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आपकी जो मांग है वह पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित नहीं है तो आप यहाँ आवेदन दे सकते हैं।

श्री अनिल कुमार खुंटे ने कहा जी मैडम और सबसे बड़ा समस्या है हमारे गांव के रोड का, आए दिन से रिसदा के निवासी हर महिने में दो या तीन केस एक्सीडेंट से मारा जा रहा है, मेरा निवेदन है प्रशासन, शासन से भी और प्लांट प्रबंधन से भी, आप सभी अपना एकमत होकर के बाईपास त्वरित बनाने पर कुछ निर्णायक निर्णय लें।

79. श्री रूपेश कुमार साहू, ग्राम ढनढनी ने कहा सीएसआर के तहत यह अपना सिलार्ड कढ़ाई सेंटर जो खुला है उसमें जो भी सामान लाते हैं उसको इमामी सीमेंट प्लांट द्वारा उसमें सामान लाकर व्यवस्थित करें ताकि हमारे गांव के जो भी महिला या लड़की है वह अपना कार्य उसमें शुरू कर सके और इस जनसुनवाई का मैं समर्थन करता हूँ और एक और मेरा समस्या था मैम आवेदन लाया हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि लिखित में दे सकते हैं, दे दीजिए।

80. श्री पारसमणी साहू, सरपंच, ग्राम पंचायत करही ने कहा कि मैं यह जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ और समर्थन इसलिए भी करता हूँ और हमारे एरिया में 7 से 8 प्लांट हैं, लेकिन इन सभी प्लांटों में न्यू विस्टा के अधिकारी तो साहब लोग हैं गरीबों और बेरोजगारों का बहुत चिंता भी करते हैं और गंभीरता पूर्वक सुनते भी है और उनको नौकरियों भी देते हैं, इसलिए मैं न्यू विस्टा प्लांट का मैं समर्थन करता हूँ।
81. श्री के. के. वर्मा, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन ने कहा कि आज के इस गरिमामय पर्यावरण विभाग के द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित शासन, प्रशासन के समस्त अधिकारी गण और इस क्षेत्र के समस्त मेरी ममतामई माता और बहनें और युवा साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जनसुनवाई का मतलब यह है कि क्षेत्र का विकास होना है, उस गांव का हित होना है, जिस क्षेत्र में जनसुनवाई होना है। पूरे अधिकारी गण बैठे हैं, कोई भी क्षेत्र में जब प्लांट आता है, कोई भी उद्योग आता है, तो शासन और जनता और प्रशासन के बीच में एमओयू होता है जिसमें सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, अस्पताल, रोजगार और पर्यावरण का उसमें समावेश रहता है। आज हम देखते हैं कि बलौदाबाजार जिला में 6-7 इंटरनेशनल सीमेंट प्लांट है, लेकिन हम अन्य सीमेंट प्लांट में भी जाते रहते हैं और देखते रहते हैं कई जगह जनता सभी आते रहते हैं और मैं आप सभी को वचन भी देता हूँ जो ताली बजा रहे हैं उन्हें भी, नहीं बजा रहे हैं उन्हें भी सुख-दुख में जब आप मुझे याद करोगे तो मैं रात के 12:00 बजे आपके साथ खड़ा नजर आऊंगा। दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजता है मुझे संतोष भाई कह रहे थे एक गाना गा दें मैं गाना नहीं गाऊंगा लेकिन एक शेर शायरी जरूर बोल रहा हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि अपनी बात रखिए।

श्री के. के. वर्मा ने कहा मैं निवेदन करना चाहूँगा जो भी सीमेंट प्लांट के अधिकारी हैं वह भी कान खोलकर सुन लें जिस क्षेत्र में पर्यावरण सुनवाई हो रहा है, उस क्षेत्र की सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, अस्पताल और रोजगार पर ध्यान दें और अगर यह ध्यान देते हैं, तो मैं इस जनसुनवाई का तहेदिल से समर्थन करता हूँ।

82. श्री सोनू निर्मलकर ने कहा कि मैं मेसर्स न्यू विस्टा लिमिटेड का समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूँ कि आसपास के ग्रामों में लगातार रोजगार को लेकर यह

न्यू विस्टा प्लांट रोजगार के लिए जितने भी यहाँ युवा हैं, सभी को रोजगार दे रहे हैं, लगातार इनका काम चल रहा है, इसलिए मैं समर्थन करता हूँ।

83. श्री कृष्ण कुमार यादव, ग्राम रिसदा ने कहा कि आज पर्यावरण जनसुनवाई के कार्यक्रम में जितने भी पदाधिकारी अधिकारी गण और कंपनी के और जितने भी मेरे ग्राम के जनता भाई आए हैं सभी का तहेदिल से स्वागत करता हूँ और यहाँ पर मैं इस पर्यावरण जनसुनवाई में अपनी कुछ बातें हैं मांगे हैं वह रखना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। पिछले विगत 40 सालों से हम एक ही जगह में स्थान में रहते हैं जब इस कंपनी का निर्माण हुआ तो हम कंपनी के एरिया में आते थे तो वहाँ से हमको पिछले 12 साल से हटा दिया गया है उस जगह से कि आपको दूसरी जगह अन्यत्र जगह में आपको जगह दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा और दिया गया है और दिए हैं, लेकिन अभी तक हमको उसका पट्टा नहीं मिला है, तो मैडम जी से हाथ जोड़कर निवेदन है लगभग-लगभग वहाँ पर 100 मकान हैं और उस एरिया का नाम है नया कॉलोनी रिसदा तो मैडम जी आपसे निवेदन है कि 100 लोगों का कम से कम 500 परिवार है वहाँ पर उनको पट्टा देने की कृपा करें और मेरी दूसरी डिमांड है आए दिन बाईपास नहीं होने के कारण ग्राम रिसदा में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, किसी की मां गुजर गई है, किसी का बच्चा एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, किसी का पति मारा जा रहा है, तो आपसे निवेदन है कि बाईपास जल्द से जल्द निर्माण करें और मेरी तीसरी मांग है कि यह जो प्लांट का जो एफआर जो फॉरेस्ट है इससे इतनी बदबू आती है कि वह सूंघा भी नहीं जाता है, तो मैडम जी से निवेदन है कि कंपनी प्रबंधन को बोलकर उस बदबू जो हमारे श्वास में किसी प्रकार की हानि न आए इस बात को देखते हुए हम उसमें भी पहल करते हैं और तीसरी और चौथी मांग मेरी यह है कि ग्राम रिसदा इतना बड़ा शहर है, प्लांट है और उसमें अनेकों प्रकार के लोग आते जाते हैं तो उससे कोई गलत गतिविधि न पनपे उस गांव में, गांव का माहौल खराब न हो, तो निवेदन है हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप वहाँ रिसदा में एक पुलिस चौकी का निर्माण करें। बस इतना शब्द कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ, लेकिन मेन बात तो भूल ही गया, मैं पूरे तन, मन से धन तो नहीं दे सकता गरीब आदमी हूँ, लेकिन पूरा समर्थन करता हूँ इस जनसुनवाई का।
84. श्री सुखसागर पिता श्री भारत दास ने कहा कि मैं जनसुनवाई का समर्थन करता हूँ, पर कुछ मेरी मांगे भी हैं जैसे सामने में देख सकते हैं सीएसआर के तहत भवन बना है बाकी वहाँ भी न सिलाई कढ़ाई का सुविधा दिए हैं न और भी कुछ जो महिलाओं के समूह की बात सब कर रहे हैं सब अपना रोजगार की बात कर रहे हैं परंतु मैं बात करना चाहता हूँ हमारे गांव में 5 साल हो गए स्कूल भवन जर्जर हो गया है न इसमें शासन ध्यान दे रहे हैं, न सीएसआर के तहत कोई ध्यान दे रहे हैं। अभी जो बच्चे हैं जो भी स्कूल है मिडिल स्कूल में दो पाली में स्कूल लगता है और उसके साथ-साथ

10 साल हो गए हैं गांव में न कोई तालाब का सौंदर्यीकरण हो पाया है, स्ट्रीट लाइट की न व्यवस्था हो पाई है, तो यह सब मांग है, बाकी मैं जो जनसुनवाई है उसका समर्थन करता हूँ।

85. श्री रमेश कुमार वर्मा ने कहा कि मैं समर्थन करता हूँ न्यूको का।
86. श्री शत्रुघ्न नेताम, ग्राम रिसदा ने कहा कि 2015 में हमारा 05 एकड़ जमीन यह इमामी कंपनी में अधिग्रहण हुआ है जो कि आज तक 10 साल हो गए हैं, कई बार आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, यह प्रशासन और कंपनी प्रबंधन से अनुरोध है कि तत्काल रोजगार मुहैया कराया जाए और कंपनी का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ।
87. श्री घासीराम कुर्रे, ग्राम सोनपुरी ने कहा कि मैं कंपनी में काम के नाम से बहुत परेशान था जबकि मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे और जब मेरे घर के आदमी लोग भी बहुत त्रस्त हो गए थे उसके बाद ढनढनी के सरपंच बाल दास मानिकपुरी के यहाँ गया और वे अपनी गाड़ी में बैठाकर कंपनी में ले गए और वहाँ जाकर मेरे घर के आदमियों को काम में लगाए हैं और वहाँ बिजली कोई विभाग है उसे तो नहीं जानता वहाँ वे लोग काम कर रहे हैं और मस्त हंसी खुशी जिंदगी जी रहे हैं, इससे मैं पूर्ण सहमत हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि इसके बाद परियोजना प्रस्तावक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगे।

88. श्री जय प्रकाश मानिकपुरी, ग्राम ढनढनी ने कहा कि मेरा निवेदन है कि जितने लैंड लूजर हैं उनके बच्चे घूम रहे हैं उसको आप जो भी जैसे भी व्यवस्था है उसको इतने पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दें और मैं समर्थन के लिए तैयार हूँ।
89. श्री महेन्द्र वर्मा, ग्राम कुकुरडीह ने कहा कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में एडीएम मैम, एसडीएम सर और पर्यावरण विभाग से आए हुए सभी एवं शासन, प्रशासन के जितने भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, मीडिया के लोग हैं, हमारे ग्रामीण माताएं, बहनें, युवा साथी और जनप्रतिनिधि, आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं निश्चित तौर पर लोक सुनवाई का समर्थन करता हूँ मैम, रही बात पर्यावरण की पर्यावरण की समस्या मैं सोचता हूँ कि किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, यह तो संपूर्ण मानव समाज की समस्या है, इसको हम सबको मिल करके निश्चित तौर पर लड़ना पड़ेगा और हम सब जो है मिलकर के उसका समाधान करेंगे। हम यह चाहते हैं कि कंपनी के सीएसआर से संयंत्र के कर्मचारी से, हमारे पंचायत के प्रतिनिधि मिल करके प्रारंभिक स्तर पर वृक्षारोपण करें, जल संरक्षण के भी समय पर काम करें, मैम मैं

आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा जलाशय है, निश्चित तौर पर वहाँ पानी अभी सूख चुका है, अगर वहाँ यदि पानी रहता है तो निश्चित तौर पर रिसदा का वाटर लेवल या आसपास का वाटर लेवल बढ़ सकता है और निश्चित तौर पर इसको व्यवस्थित किया जाए और रही बात हर एक व्यक्ति का एक अलग-अलग समस्या होता है, निश्चित तौर पर यह जो इमामी कंपनी है, हकीकत में हमको देखने मिला है कि क्षेत्रीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता मिला है, रोजगार के क्षेत्र में और उनका बहुत ही एक्टिविटी अच्छा कार्य है और खासकर तो मैं सीएसआर क्लस्टर हेड चंद्रशेखर सर का धन्यवाद करूँगा कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो गांव में पंचायत के प्रतिनिधियों से मिलकर के निश्चित तौर पर गांव के विकास के लिए एक रूपरेखा बनाते हैं, उसमें हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन रही बात पर्यावरण की तो पर्यावरण में कुछ दिशा देने की जरूरत है और अच्छा काम करने की जरूरत है और रही बात रोजगार की तो रोजगार तो बहुत से लोगों को मिला है और जरूरत के हिसाब कंपनी अपना लगा भी रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है और हर एक व्यक्ति का मांग अलग रहता है और पर्यावरण से रिलेटेड है तो हम सबको मिलकर के जीव जंतु को एवं वृक्षारोपण जिस भी दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक कृपया जवाब दीजिए।

90. परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री रविश गालव, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, न्यू विस्टा लिमिटेड के द्वारा जवाब प्रस्तुतीकरण के अनुक्रम में संबोधित किया गया कि नमस्कार साथियों, जिला प्रशासन में उपस्थित मंचासीन आदरणीय एडीएम महोदया, एसडीएम साहब, पर्यावरण क्षेत्रीय अधिकारी, उप संचालक खनिज प्रशासन, डीपीआईसी से आए हुए अधिकारी गण, उपस्थित पुलिस बल, मीडिया कर्मचारी एवं प्रबुद्ध ग्रामवासियों। आज जनसुनवाई के अवसर पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, इस आयोजन में अपनी प्रतिभागिता दी, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इस दौरान हमें आपके बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए, न्यू विस्टा लिमिटेड ने सदैव समीपस्थ गांव को नियमानुसार विकास में सहभागिता रखी है और मैं आश्वस्त करता हूँ कि आगे भी निरंतर नियमों का पालन करते हुए हम इस कार्य को जारी रखेंगे, धन्यवाद।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संबोधित किया गया कि आज की जनसुनवाई में आप सभी लोगों ने शांतिपूर्वक अपने-अपने सुझाव, प्रस्ताव रखे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और इसी के साथ इस जनसुनवाई के समाप्ति की घोषणा करती हूँ। लोक सुनवाई की कार्यवाही

अपरान्ह 1:10 बजे समाप्त हुई। लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 119 है। जिसमें सरपंच, कार्यालय ग्राम पंचायत कुकुरदी, ढनढनी, रिसदा एवं दशरमा के द्वारा प्रेषक कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा से कुल 112 आवेदन तथा कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार—भाटापारा के पत्र क्रमांक 498 दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से 02 आवेदन एवं 05 आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को प्राप्त हुआ। सम्पूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

प्रकाश कुमार रबड़े
क्षेत्रीय अधिकारी,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल,
रायपुर

सुश्री दीप्ति गौते,
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला—बलौदाबाजार